

577

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

Original Application No. 211/2024

SANJAY AGARWAL

...APPLICANT

VERSUS

STATE OF UTTARAKHAND & ORS.

...RESPONDENT'S

INDEX

S.NO	PARTICULARS	PAGE No.
1.	Counter affidavit on behalf of Respondent No.10	1-9
2.	ANNEXURE R/1 Copy of the sale deed dated 04.02.2015	10-25
3.	ANNEXURE R/2 Copy of the sale deed dated 30.10.2023	26-46
4.	ANNEXURE R/3 Copy of the sale deed dated 26.04.2016	47-65
5.	ANNEXURE R/4 Copy of the sale deed dated 08.08.2011	66-76
6.	ANNEXURE R/6 Copy of Master plan of Rishikesh	77-78
7.	ANNEXURE R/7 Copy of Government order dated 27.12.2021	79-80
8.	ANNEXURE R/8 Copy of photographs of the township	81-85

	developed adjacent to the said land along with satellite image of the said buildings.	
9.	ANNEXURE R/9 Copy of photographs of the said water outlet along with water and electricity bills.	86-93
10.	ANNEXURE R/10 Copy of rules of the development authority, government order and sewage receipts.	94-116
11.	VAKALATNAMA	117

Filed on: 06.11.2024

ROHIT PANDEY

ADVOCATE FOR THE RESPONDENT

LB 9 and 10, Gauri Sadan 5,

Hailey Road, New Delhi

Rohit.pandey4587@gmail.com

579

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

Original Application No. 211/2024

SANJAY AGARWAL

...APPLICANT

VERSUS

STATE OF UTTARAKHAND & ORS.

...RESPONDENT'S

COUNTER AFFIDAVIT ON BEHALF OF THE RESPONDENT NO. 10

I, Lalit Mohan Mishra, S/o Lt. Kamal Narayan Mishra, R/o 10/1 Dehradun ROAD, Rishikesh, aged about 49, I am the respondent no. 10 in the aforesaid Original Application do hereby solemnly affirm and state as under:

1. That, I am the respondent no. 10 in the aforesaid Original Application and fully acquainted with the facts and circumstances of the case and, hence competent to swear this affidavit in the above captioned matter.
2. That I have read the Notice by the National Green Tribunal on the basis of the facts mentioned before the Hon'ble Bench and fully understood the same and I state that same are Incorrect, misleading thus the contents of the same are denied.
3. At the very outset, it is submitted that the contents/averments in the above captioned original application to the extent not specifically adverted to and replied herein shall be deemed to have

Lalit/11.12



(2)

been traversed in extensor and denied by the Respondent No. 10 save and except those which are expressly admitted hereinafter.

4. It is humbly submitted that the Respondent No 10 reserves its rights to add, modify or otherwise elaborate its reply, averments, contention, submissions and to place on record further annexures/ documents as may be required or as and when directed by this Hon'ble Court.

5. PRELIMINARY SUBMISSIONS

- (a) It is pertinent to bring to the attention of this Hon'ble Court that the complainant/informant is himself involved in constructing buildings/residences in the same area, adjacent to the disputed residential buildings. He has not approached this tribunal with clean hands, as he is a co-purchaser, which is clearly reflected in the sale deed dated 04.02.2015, and has actively participated in constructing a similar building next to the said land. This complaint appears to stem from a personal vendetta rooted in enmity with his partners. Copy of the sale deed dated 04.02.2015 is Annexed here as **Annexure R/1 from page 10 to 25**.
- (b) Furthermore, it is relevant to note that respondents no. 1 to no. 3 did not take any action concerning the development or construction of these buildings until after the National Green Tribunal intervened. These authorities were aware of an already developed township in the area, which was established even before the construction of these buildings, without approved maps or NOCs. The department itself



Subh/M M

acknowledged in its report that no approvals can be granted for such development in this area.

- (c) The brief facts of the present case are that Respondent No. 7 purchased this land in 2023 from the previous owner, Mrs. Bharat Singh, through a sale deed dated 30.10.2023. In the sale deed, the respondent was informed that the land was free from any encumbrances. Additionally, he was advised that he could proceed with constructing a residential building, noting that the township includes adjacent residential, commercial, and hotel properties. Copy of the sale deed dated 30.10.2023 is marked as **Annexure R/2 from page 26 to 46**.
- (d) It is also important to bring to the attention of this Hon'ble Court that the executed sale deed is not the first instance where this land was involved in a transaction. The land had previously been sold on three prior occasions (total 4), as can be clearly understood from the table provided below:

S No .	DETAILS OF THE SELLER	DETAILS OF THE BUYER	DATE OF EXECUTED SALE DEED	ANNEXURE	PAG E NO.
1	BHARAT SINGH	LALIT MOHAN MISHRA	30.10.2023	R/2	26-46
2	ANSHU DESHWAL	BHARAT SINGH	26.04.2016	R/3	42-65
3	NAVEEN KUMAR	ANSHU DESHWAL	08.08.2011	R/4	66-76

Lalit/11-11




- (e) It is important to bring to the attention of this Hon'ble Court that the photographs annexed to the aforementioned sale deeds clearly show that the constructions adjacent to the said land were already in place before the registration of the sale deeds. This is evident from the pages referenced in the table below:

S No.	ANNEXURE	PAGE NO.
1.	R/2	33
2.	R/3	63
3.	R/4	

- (f) It is also important to mention before this Hon'ble Court that the said land, along with the adjacent lands, is categorized under "Krishi Hari Pattika" as per the Master Plan Rishikesh, and not under "Hari Shreni," as observed by this Hon'ble Court. Copy of Master Plan Rishikesh is annexed here as **Annexure R/5 from page 77 to 78**.

- (g) It is pertinent to bring to the attention of this Hon'ble Court that, as evident from the designation in the Rishikesh master plan, the term "Krishi Hari" in "Krishi Hari Pattika" refers to land designated by the government specifically for agricultural purposes. Contrary to previous statements made before this Hon'ble Court, this land does not fall under the



John M.M.

category of "Hari Shreni," as it lacks any trees and covered forests.

- (h) It is submitted that a crucial fact has been concealed from this Hon'ble Court: the constructions adjacent to the respondent's buildings were erected years before the respondent's residential buildings, commercial complexes and Hotels. None of these constructions have had their maps approved by the development authorities, as the said land falls under the "Krishi Hari Pattika" category.
- (i) It is also submitted before this Hon'ble Court that the area in question has been converted from a village to a Nagar Panchayat. This rural-to-urban conversion was undertaken in accordance with the law, following an increase in the population from 12,000 to 40,000, reflecting the area's development into a city. This transition was formalized by a State Government order dated 27 December 2021. Copy of the Government order dated 27 December 2021 is annexed here as **Annexure R/6** from page 79 to 80.
- (j) Furthermore, a fact that has been concealed from this Hon'ble Court is that not only the buildings mentioned in the aforesaid table have been constructed adjacent to the respondent's residential buildings, but an entire city has been developed in the area. This stands in stark contrast to the action being taken solely against the respondents. Copy of photographs of entire developed city adjacent to these buildings along with satellite image of the said township are

Latit M.M.




6

annexed here as **Annexure R/7** from page 81 to 85.

- (k) The petitioner respectfully submits before this Hon'ble Court that the cognizance taken by this Court, as mentioned in the attached notice, raises valid concerns regarding the dumping of construction material into the natural stream. However, the respondent clarifies that the water outlet referred to as a natural stream is not a permanent water body. It is, in fact, a seasonal water outlet that functions only during the rainy season to channel water from the mountains and remains dry for the rest of the year and also the said respondent has used paid water and electricity at the time of the construction. The copy of the photographs of the water outlet along with bills of electricity and water supplied at the time of construction are annexed here as **Annexure R/8** from page 86 to 93.
- (l) The petitioner further respectfully submits before this Hon'ble Court that no construction material has been dumped into the said stream. During the same year, during the prolonged rainy season, the stream was operational. Had it not been functioning, as a fact various issues would have arisen, which did not occur during that period. Further it is strongly denied that the construction waste is being dumped into the said natural stream and the applicant has alleged the same without any proof which is clearly evident from the photographs annexed as **Annexure R/8**

6. PARAWISE REPLY

Kabit/11/11



②

- (a) The respondent fully denies the concern raised in point 02 regarding map approval. It has been clarified that neighbouring buildings were constructed earlier without any map approval, as the area falls under "Krishi Hari Pattika," where the development authority does not grant such approvals. The respondent contends that only the respondent is being singled out in this case. The copy of photographs are annexed here as **Annexure R/7**.
- (b) The respondent completely denies the concern raised in point 03 regarding the requirement to obtain NOCs from the air and water pollution control boards. Since the development authority can not approve maps in this area as land is in krishi hari pattika, no NOCs can be obtained. Furthermore, neighbouring buildings, including commercial structures, have also been constructed without obtaining such NOCs. The respondent's building, however, is intended for residential use.
- (c) The respondent fully denies the concern raised in point 04 regarding the installation of a sewage treatment plant, as this issue was raised by this Hon'ble Court but is not applicable to the property in question. According to development authority regulations of National Green Tribunal itself the building's area is _____ sq mt. and sewage treatment plants are only required for

Subit / M.M.



(8)

buildings exceeding an area of 10000 sq. mt wherein also the department has certified the sewage line and sewage connection in the said building as required as per government order. The copy of the rules of the development authority along with Government order and sewage receipts are annexed here as **Annexure R/09 from page 94 to 116**.

- (d) The respondent categorically denies the concern raised in point 05 by this Hon'ble Court, stating that no land associated with the rainwater disposal stream has been encroached upon or acquired during the construction of the residential building. The respondent asserts that all construction activities have respected the designated boundaries, ensuring that the natural water drainage pathways remain unaffected.

In light of the facts and submissions, the action taken by this Hon'ble Court concerning the alleged dumping of construction material in the rainwater disposal stream is entirely denied, as detailed in paragraph (J) of the Preliminary Submissions. No environmental laws have been violated in this regard, and the court's cognizance is based on concealed facts and is therefore liable to be dismissed.



[Handwritten Signature]
DEPONENT

VERIFICATION

I, the above-named deponent do hereby verify that the contents of para no. 1 to 4 are true and correct to the best of my knowledge and nothing has been concealed therein.

Verified and signed on this _____ day of _____, 2024 at
06 NOV 2024

I Identify the deponent who has Signed/Put T.I. in my presence

Handwritten signature

DEPONENT



ATTESTED
A.N. Singh, Adv.
Notary Public
Govt. of India, New Delhi

06 NOV 2024

ROHIT PANDEY

ADVOCATE FOR THE RESPONDENT

LB 9 and 10, Gauri Sadan 5,

Hailey Road, New Delhi

Rohit.pandey4587@gmail.com

Certified that the above Deponent has read and explained to me the contents of the document which I have signed and explained to me are true and correct.
Self (L.M. Mishra)
8556
Handwritten signature

06 NOV 2024

विक्रय विलेख का वांछित विवरण	
1. विक्रय मालियत प्रतिफल	- ₹31,40,000/-
2. शासकीय मूल्यांकन	- ₹ 31,37,098/-
3. स्टाम्प शुल्क	- ₹1,57,000/-
4. स्टाम्प पृष्ठों की संख्या	- 13
5. विवरण विक्रीत भूमि	- भूमिधरी भूमि पुराना खाता खतीनी संख्या-41 एच नया खाता खतीनी संख्या-86 के अनुसार पुराना खसरा संख्या-65 नया खसरा संख्या-25 मि० कुल रकबा 368 वर्ग गज अर्थात् 307.80 वर्ग मीटर स्थित ग्राम तपोवन, पट्टी धमान्दस्यू तहसील नरेन्द्रनगर जिला टिहरी गढ़वाल है।
6. मुख्य मार्ग से दूरी	- विक्रीत भूमि मुख्य ऋषिकेश-बद्रीनाथ मुख्य मार्ग से 300 मीटर से अधिक की दूरी पर स्थित है।
7. भूमि क्रय का प्रयोजन	- आवासीय प्रयोजन हेतु।
8. सकिल दर	- ₹10,192/-वर्ग मीटर।
9. विक्रेता का नाम व पता	- (1) श्रीमति भीता जौहर पत्नी श्री मानव जौहर, निवासी-104/38, देहरादून रोड, ऋषिकेश, जिला देहरादून द्वारा मुख्तारैआम श्री मानव जौहर पुत्र श्री मनजीत जौहर, निवासी-104/38, देहरादून रोड, ऋषिकेश, जिला देहरादून। PAN AIFPG12511N (2) श्री निशान्त मलिक पुत्र श्री कमलकान्त मलिक, निवासी-175, वीरमद मार्ग, ऋषिकेश, जिला देहरादून (3) श्री हर्षित मलिक पुत्र श्री कमलकान्त मलिक, निवासी-175, वीरमद मार्ग, ऋषिकेश, जिला देहरादून। द्वारा मुख्तारैआम श्री निशान्त मलिक पुत्र श्री कमलकान्त मलिक, निवासी-175, वीरमद मार्ग, ऋषिकेश, जिला देहरादून।
10. क्रेता का नाम व पता	- (1) श्री निखिल गोयल पुत्र श्री अजय कुमार गोयल निवासी 18, आदर्श नगर, ऋषिकेश जिला देहरादून। (PAN No. AILPG6547R) (2) श्री अमित गोयल पुत्र श्री कृष्ण गोपाल गोयल निवासी 15, पुराना डाकखाना मार्ग, मेन बाजार, ऋषिकेश जिला देहरादून (PAN No. AJRPG1850E) (3) श्री बंशी कुमार मित्तल पुत्र स्व० श्री चन्द्रमान मित्तल, निवासी-डिस्पेंसरी रोड, देहरादून (PAN No. AFVPM9593G) (4) श्री संजय अग्रवाल पुत्र श्री लक्ष्मी नारायण अग्रवाल, निवासी-5, तिलक रोड, ऋषिकेश, जिला देहरादून (PAN No. ABTPA7137N) (5) श्री राजन गुप्ता पुत्र श्री गोपीचन्द गुप्ता, निवासी-15 पुराना डाकखाना मार्ग, ऋषिकेश, जिला देहरादून। (PAN No. AIFPG1650B)

Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including names like 'Rajendra', 'Rajendra', and 'Rajendra'.



एण्ड UTTARAKHAND

254078



[2]



विक्रय विलेख

यह विक्रय विलेख आज दिनांक 04-02-2015 को स्थान जिला टिहरी गढ़वाल में (1) श्रीगति मीता जौहर पत्नी श्री गानव जौहर, निवासी-104/38, देहरादून रोड, ऋषिकेश, जिला देहरादून द्वारा मुख्तारेआम श्री मानव जौहर पुत्र श्री मनजीत जौहर, निवासी-104/38, देहरादून रोड, ऋषिकेश, जिला देहरादून (2) श्री निशान्त मलिक पुत्र श्री कमलकान्त मलिक, निवासी-175, वीरभद्र मार्ग, ऋषिकेश, जिला देहरादून (3) श्री हर्षित मलिक पुत्र श्री कमलकान्त मलिक, निवासी-175, वीरभद्र मार्ग, ऋषिकेश, जिला देहरादून द्वारा मुख्तारेआम श्री निशान्त मलिक पुत्र श्री कमलकान्त मलिक, निवासी-175, वीरभद्र मार्ग, ऋषिकेश, जिला देहरादून (जिनको इस विलेख में आगे विक्रेतागण कहकर सम्बोधित किया गया है)।

.....विक्रेतागण

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the document. One signature is clearly 'Rajendra'. There are several other illegible signatures and a stamp that appears to say 'विक्रेतागण' (Vikretagan).

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.
25000
पच्चीस हजार रुपये

Rs.
25000
TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES



उत्तराखण्ड UTTARAKHAND



[3]

ने



254074

(1) श्री निखिल गोयल पुत्र श्री अजय कुमार गोयल निवासी 18, आदर्श नगर, ऋषिकेश जिला देहरादून. (2) श्री अमित गोयल पुत्र श्री कृष्ण गोपाल गोयल निवासी 15, पुराना डाकखाना मार्ग, गेन बाजार, ऋषिकेश जिला देहरादून (3) श्री वंशी कुमार भित्तल पुत्र स्व० श्री चन्द्रभान भित्तल, निवासी-डिस्पेंसरी रोड, देहरादून (4) श्री संजय अग्रवाल पुत्र श्री लक्ष्मी नारायण अग्रवाल, निवासी-5, तिलक रोड, ऋषिकेश, जिला देहरादून (5) श्री राजन गुप्ता पुत्र श्री गोपीचन्द्र गुप्ता, निवासी-16 पुराना डाकखाना मार्ग, ऋषिकेश, जिला देहरादून (जिनको इस विलेख में आगे क्रैतागण कहकर सम्बोधित किया गया है) के पक्ष में अंकित व निष्पादित किया।

.....क्रैतागण

[Handwritten signatures and names]
 Rajan Gupta
 Sanjay Agrawal
 Anil Kumar
 Anil Kumar

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.
25000
पच्चीस हजार रुपये



Rs.
25000
TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

राखण्ड UTTARAKHAND

254075

[4]

जैसा कि विक्रेतागण इस विलेख की सूची में वर्णित भूमि के संयुक्त स्वामी व अध्यासी है। विक्रेतागण ने वर्णित भूमि एक श्री नवीन कुमार पुत्र श्री किशन, निवासी-ग्राम तपोवन, पट्टी धनान्दस्वै, तहसील नरेन्द्रनगर, जिला टिहरी गढ़वाल से पंजीकृत विक्रय विलेख दिनांकित 05-04-2014 के माध्यम से क्रय की है जो कि रजिस्ट्रार कार्यालय जिला टिहरी गढ़वाल में बही नं०-1, जिल्द 37, पृष्ठ 505 से 516 पर दस्तावेज संख्या-34 पर दिनांक 07-04-2014 को विधिवत पंजीकृत है। इस प्रकार विक्रेतागण को उक्त वर्णित भूमि विक्रय एवं हस्तान्तरण इत्यादि करने के अधिकार कानूनन प्राप्त है।

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
जिला गढ़वाल
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.
25000

पच्चीस हजार रुपये



Rs.
25000

TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

उत्तराखण्ड UTTARAKHAND

254077

[5]

और जैसा कि विक्रेता श्रीमति मीता जौहर पत्नी श्री मानव जौहर, निवासी-104/38, देहरादून रोड, ऋषिकेश, जिला देहरादून ने वर्णित भूमि की बावत एक मुख्तारनामा आम अपने पति श्री मानव जौहर, निवासी-104/38, देहरादून रोड, ऋषिकेश, जिला देहरादून के पक्ष में दिनोंक 05-04-2014 को निष्पादित किया है, जो सब-रजिस्ट्रार कार्यालय टिहरी गढ़वाल में बही संख्या-4, जिल्द संख्या-55, पृष्ठ 233 से 240 तक क्रमांक 29 पर दिनोंक 07-04-2014 को विधिवत् पंजीकृत है।

और जैसा कि विक्रेता श्री हर्षित मलिक पुत्र श्री कमलकान्त मलिक, निवासी-175, वीरभद्र मार्ग, ऋषिकेश, जिला देहरादून ने वर्णित भूमि की बावत एक मुख्तारनामा आम अपने सगे भाई श्री निशान्त मलिक पुत्र श्री कमलकान्त मलिक, निवासी-175, वीरभद्र मार्ग, ऋषिकेश, जिला देहरादून के पक्ष में दिनोंक 13-10-2010 को निष्पादित किया है, जो सब-रजिस्ट्रार कार्यालय ऋषिकेश में बही संख्या-4, जिल्द संख्या-131, पृष्ठ 275 से 284 तक क्रमांक 369 पर दिनोंक 13-10-2010 को विधिवत् पंजीकृत है।

[Handwritten signatures and stamps]

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.
25000
पच्चीस हजार रुपये



Rs.
25000
TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

राज्य UTTARAKHAND

254076

[6]

और जैसा कि विक्रेतागण का स्वामित्व इस विलेख की सूची में वर्णित भूमि के विषय में पवित्र है तथा विक्रेतागण के पास बाजार में विक्रय योग्य स्वामित्व है। इस विलेख की सूची में वर्णित भूमि किसी विवाद में तथा किसी न्यायालय के विवाद में ग्रहित नहीं है। भूमि स्पष्ट स्वामित्व की है। इस भूमि पर कोई भार, अधिभार तथा ऋण नहीं है। यह भूमि किसी स्थान पर बन्धक नहीं है। विक्रेता का अध्यासन स्थल पर स्वच्छ है।

और जैसा कि विक्रेतागण को इस विलेख की सूची में वर्णित भूमि को विक्रीत करने के समस्त अधिकार प्राप्त हैं। विक्रेतागण इस विलेख की सूची में वर्णित भूमि को अंकन ₹31,40,000/- (₹ इकत्तीस लाख चालीस हजार मात्र) की धनराशि में क्रेतागण को विक्रीत करने को तैयार है तथा क्रेतागण उक्त धनराशि में इस विलेख की सूची में वर्णित भूमि को क्रय करने को तैयार हैं।

B. K. S.
K. S. S.
20/01/14

W. S. S.
P. S. S.



तराखण्ड UTTARAKHAND

254079

171

अतः विक्रय विलेख निम्न दर्शाता है :-

- (1) यह कि उपरोक्त विक्रेतागण इस विक्रय-विलेख की सूची में वर्णित भूमि को क्रेतागण को अंकन ₹31,40,000/- (₹ इकत्तीस लाख चालीस हजार मात्र) की धनराशि में विक्रीत, अन्तरित तथा हस्तान्तरित करते हैं तथा भूमि पर स्वामी के रूप में क्रेतागण को आरूढ़ करते हैं। भूमि का वास्तविक अध्यासन स्थल पर विक्रेतागण ने क्रेतागण को देकर भूमि पर आरूढ़ करा दिया है। विक्रय प्रतिफल की धनराशि अंकन ₹31,40,000/- (₹ इकत्तीस लाख चालीस हजार मात्र) विक्रेतागण ने क्रेतागण से विक्रय पत्र पर हस्ताक्षर करने से पूर्व नगद में प्राप्त कर ली है। विक्रेतागण समस्त विक्रय धनराशि की प्राप्ति उपनिबन्धक महोदय, जिला टिहरी गढ़वाल के समक्ष एतद्वारा स्वीकार करते हैं तथा स्पष्ट करते हैं कि विक्रय प्रतिफल की एवज में कोई लेना-देना शेष नहीं रह गया है।

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



उत्तराखण्ड UTTARAKHAND

499206

[8]

(2) यह कि पूर्ण स्पष्टीकरण हेतु विक्रेतागण निम्नानुसार स्पष्ट करते हैं :-

- (क) यह कि विक्रेतागण ने इस विक्रय-विलेख की सूची में वर्णित भूमि का वास्तविक रिक्त अध्यासन क्रेतागण को स्थल पर सौंप दिया है।
- (ख) यह कि विक्रीत भूमि के सन्दर्भ में आज तक के समस्त कर आदि का भुगतान विक्रेतागण करेंगे और आज के उपरान्त समस्त कर आदि का भुगतान क्रेतागण करेंगे। क्रेतागण को पूर्ण अधिकार है कि वह विक्रीत भूमि के सन्दर्भ में राजस्व अभिलेखों में अपना नाम विक्रेतागण के स्थान पर दर्ज करवा लेवे, विक्रेतागण इस कार्य हेतु सदैव क्रेतागण की मदद को तैयार रहेगा।
- (ग) यह कि विक्रीत भूमि पर कोई भार, अधिभार, ऋण नहीं है और यह भूमि किसी स्थान पर धरोहर या बन्धक नहीं है। यह भूमि विवाद व प्रत्येक प्रकार के न्यायालय के विवाद से मुक्त है। भूमि स्पष्ट स्वामित्व की है।

[Handwritten signatures and stamps are present at the bottom of the page, including a stamp that reads 'मि. जयपुर' and another that reads 'मि. जयपुर' with a signature.]



उत्तराखण्ड UTTARAKHAND

499207

[9]

- (घ) यह कि विक्रीत भूमि के साथ उपलब्ध व संलग्न समस्त सुखाधिकार व अधिकार जो वर्तमान में विक्रेतागण को उपलब्ध है और जो भविष्य में विक्रेतागण को उपलब्ध हो सकते हैं, वह भी क्रेतागण को अन्तर्गत किये जा रहे हैं।
- (ड) यह कि यदि किसी समय पूर्ण स्वामित्व व स्पष्ट स्वामित्व के लिए क्रेतागण को विक्रेतागण की सहायता की आवश्यकता पड़ी और विक्रेतागण द्वारा क्रेतागण के पास में अन्य कोई पत्र व प्रपत्र अंकित करने की आवश्यकता पड़ी तो विक्रेतागण, क्रेतागण की मांग पर व क्रेतागण के व्यय पर उपरोक्त प्रपत्र अंकित व निष्पादित करेंगे तथा उसका कारण बनेंगे।

[Handwritten Signature]

Mr. Katar
 12/11/2017

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

598 (20)



उत्तराखण्ड UTTARAKHAND

499208

[10]

(च) यह कि यदि विक्रीत भूमि या उसका कोई भाग विक्रेतागण के स्वामित्व दोष के कारण या विक्रेतागण के किसी भी अन्य प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष दोष के कारण क्रेतागण के अधिकार अथवा अध्यासन से निकल जाता है तो विक्रेतागण उसका पर्याप्त हर्जाना क्रेतागण को अदा करेंगे तथा अदा किये जाने का कारण बनेंगे।

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
 सहाय न्यायालय

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



उत्तराखण्ड UTTARAKHAND

499210

[12]

- (4) यह कि विक्रेतागण व क्रेतागण अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के नहीं हैं। विक्रेतागण व क्रेतागण भारतीय नागरिक हैं। भूमि पर सिलिंग अधिनियम लागू नहीं होता है। विक्रीत भूमि पर कोई वृक्ष, बाग तथा निर्माण नहीं है। विक्रेतागण द्वारा विक्रय विलेख अंकित व निष्पादित करने में किसी प्रकार की कोई अवरोध नहीं है और विक्रेतागण वर्तमान विक्रय-विलेख अंकित व निष्पादित करने हेतु सक्षम है।
- (5) यह कि इस विलेख की सूची में वर्णित भूमि मीजा तपोवन, पट्टी घमान्दस्थू, परगना व तहसील नरेन्द्र नगर जिला टिहरी गढ़वाल में स्थित है। क्रेतागण उत्तराखण्ड राज्य के मूलखातेदार की श्रेणी में आते हैं, क्रेतागण के परिवार में उत्तराखण्ड राज्य के निर्माण के पूर्व से अचल सम्पत्ति विद्यमान है। जिस कारण वर्तमान विक्रय विलेख के निष्पादन में उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 (यथासंशोधित उत्तरांचल अधिनियम संख्या-29 वर्ष 2003) (उत्तराखण्ड अध्यादेश संख्या-1 वर्ष 2007) के किसी भी प्राविधान का उल्लंघन नहीं हो रहा है।

[Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including 'R. K. Singh', 'J. K. Singh', and 'R. K. Singh'.]



नाराखण्ड UTTARAKHAND

499041

[13]

- (6) यह कि इस विक्रय विलेख में जहां जहां शब्द विक्रेतागण व क्रेतागण आया है, उससे उसका तात्पर्य व अर्थान्तर, उसके हित प्रतिनिधि, अन्तरिती, वारिसान, प्रतिनिधि व दायद से लगाया जावेगा व समझा जावेगा।'

विवरण भूमि

भूमिधरी भूमि पुराना खाता खतीनी संख्या-41 एवं नया खाता खतीनी संख्या-86 के अनुसार पुराना खसरा संख्या-85 नया खसरा संख्या-25 मि० कुल रकबा 368 वर्ग गज अर्थात् 307.80 वर्ग मीटर स्थित ग्राम तपोवन, पट्टी धमान्दस्यू तहसील नरेन्द्रनगर जिला टिहरी गढ़वाल है। जिसकी दिशाये निम्न प्रकार है :-

- | | | |
|------------|---|---|
| पूरब में | - | सम्पत्ति अन्य, सीमा नाप 67 फुट 5 इंच, |
| पश्चिम में | - | सम्पत्ति अन्य, सीमा नाप 50 फुट, |
| उत्तर में | - | बरसाती नाला, सीमा नाप 58 फुट 5 इंच, |
| दक्षिण में | - | 18 फुट चौड़ा रास्ता, सीमा नाप 54 फुट 5 इंच। |

[Handwritten signatures and marks]

602

24



उत्तराखण्ड UTTARAKHAND

693856

[14]

अतः यह विक्रय-विलेख उपरोक्त दिनांक, माह व वर्ष को विक्रेतागण व क्रेतागण ने साक्षीगणों के समक्ष अंकित कर हस्ताक्षरित कर दिया है, ताकि समय पर उपयोगी हो।

(श्रीमति मीता जीहर)
द्वारा मुख्तारआम श्री मानव जीहर
विक्रेता संख्या-1

(श्री निशांत मलिक)
विक्रेता संख्या-2

(श्री हर्षित मलिक)
द्वारा मुख्तारआम
श्री निशांत मलिक
विक्रेता संख्या-3

(श्री निखिल गोयल)
क्रेता संख्या-1

(श्री अमित गोयल)
क्रेता संख्या-2

(श्री बंशी कुमार मित्तल)
क्रेता संख्या-3

(श्री संजय अग्रवाल)
क्रेता संख्या-4

(श्री राजन गुप्ता)
क्रेता संख्या-5

संजय अग्रवाल

Rajan

रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908, की धारा 32(ए) के अन्तर्गत अर्गेंटिया के निशान

विक्रेता का नाम :- जिम्मेदार 24/2/2022 से 24/2/2022 हस्ताक्षर HR

	अनुष्ठा	तर्जनी	मध्यमा	अनामिका	कनिष्ठा
बाँया हाथ					
दाँया हाथ					

विक्रेता का नाम :- विशाल मल्ल 24/2/2022 से 24/2/2022 हस्ताक्षर HR

	अनुष्ठा	तर्जनी	मध्यमा	अनामिका	कनिष्ठा
बाँया हाथ					
दाँया हाथ					

क्रेता का नाम :- विशाल मल्ल हस्ताक्षर HR

	अनुष्ठा	तर्जनी	मध्यमा	अनामिका	कनिष्ठा
बाँया हाथ					
दाँया हाथ					

HR
HR
HR
HR

604

Annexure



Online Public Data Entry Summary

UKPDE2023090102046

DISTRICT NAME :दिल्ली कन्नड SRO :

UKPDE2023090102046 From 16 Feb 2023

Verified & Locked
01-10-2023 7:16:53PM

Appointment Date:

Appointment Time:

Appointment TokenNo:

Mutation Office तहसील नरेन्द्रनगर

17/10/2023

Deed/Article Type :Sale (Immovable)

Sub-Deed/Sub-Article :Sale(Residential Plot)

Village/Location For Index :तपोवन -१, कपिलेश-वेवप्रयाग-बडीनाथ मार्ग

Village/Location/Road Selected for Circle RateList :तपोवन -१, कपिलेश-वेवप्रयाग-बडीनाथ मार्ग

Khewal : Khatoni :86

Khasra :27क

House/Flat No:

Area :96.6000 वर्ग मीटर

Latitude 30.1328610000

Longitude 78.3211000000

Land Value :2,894,000.00

Construction Value :0.00

Transaction Value :4,000,000.00

Market Value :2,894,000.00

Advance :0.00

Lease Period :0.00

Avg. Rent :0.00

Stamp Duty :200,000.00

Regn Fees :25,000.00

Pasting Fees :100

Page :24
28

आवसायिक निर्माण का विवरण

क्र.सं निर्माण का प्रकार

क्षेत्रफल

आवासीय निर्माण का विवरण

क्र.सं निर्माण क्षेत्र निर्माण का प्रकार निर्माण वस्तु द्वारा वर्ष रकम

निबंधक शुल्क का विवरण

क्र.सं	भुगतान की विधि	धनराशि	संदर्भ क्रमांक
1	Cash	25,000.00	—

स्टाम्प शुल्क का विवरण

क्र.सं	भुगतान की विधि	धनराशि	संदर्भ क्रमांक	पारी दिनांक	स्टाम्प विवेका नर्सरी
1	e-Stamp	200,000.00	—	27-Oct-2023	

Bhorat
नरेश कुमारTankei Sharma
Raj
Rajit/H-M

Alert Date:

Appointment Time

605

22

Appointment TokenNo:

Station Office तहसील नरेन्द्रनगर

पक्षकारों का विवरण

पक्षकार का प्रकार	पक्षकार का विवरण	हस्ताक्षर	व्यवसाय	पैन नं	मोबाइल नं	पहचान पत्र संख्या
विद्ये	रथम पक्ष श्री भारत सिंह निर्वाण पुत्र श्री मूलचंद निर्वाण निवासी उत्तर प्रदेश	Bhola	PRIVATE JOB	AONPS8173 B	9027050384	ADHAAR : 5856 3907 3738
विक्रेता / प्रथम पक्ष	श्री चरत सिंह निर्वाण पुत्र श्री मूलचंद निर्वाण निवासी उत्तर प्रदेश	चरत सिंह	PRIVATE JOB	AMGPN315 8C	9927050384	ADHAAR : 8509 3251 6027
क्रेता / द्वितीय पक्ष	श्री पंकज शर्मा पुत्र श्री हरिदत्त शर्मा निवासी कृष्णिका जिला देहरादून	Pankaj Sharma	PRIVATE JOB	BBCPS4758 H	9897585777	ADHAAR : 9154 2173 5710
क्रेता / द्वितीय पक्ष	श्री निवेश कुमार पुत्र श्री स्व विनोद कुमार निवासी कृष्णिका जिला देहरादून	Nisheth	PRIVATE JOB	AKZPM8334 N	9756599000	ADHAAR : 6506 7342 3848
क्रेता / द्वितीय पक्ष	श्री नतिल मोहन मिश्र पुत्र श्री स्व कमल नारायण मिश्र निवासी कृष्णिका जिला देहरादून	Natil M.H.	PRIVATE JOB	AGMPM666 8A	9927050384	ADHAAR : 9549 7722 8528
पचाह	श्रीमती सुभा गुप्ता पत्नी श्री सुनील गुप्ता निवासी कृष्णिका जिला देहरादून	Surbha Gupta	PRIVATE JOB		9259757907	ADHAAR : 2016 8490 4816
पचाह	श्री सुनील गुप्ता पुत्र श्री विष्णु प्रसाद गुप्ता निवासी कृष्णिका जिला देहरादून	Sunil Gupta	PRIVATE JOB		9259757907	ADHAAR : 3110 6105 0691

Deed Writer /Advocate Name :ATUL BISHT



विक्रय पत्र

प्रमुख क्षेत्र	-	नगर पंचायत क्षेत्र।
सम्पत्ति मूल्यांकन सूची दिनांक 16.02.2023 से प्रभावी सूची के अनुसार पृष्ठ सं० 106 के क्रम सं० 1 मौजा तपोवन तहसील ऋषिकेश जिला देहरादून, आवासीय सर्किल दर मु० 28,522/रूपये प्रति वर्ग मीटर, भूमि में रास्ता 5 मीटर से अधिक व 12 मीटर से कम चौड़ा होने की दशा में समान्य दर पर 5 प्रतिशत अधिक यानि मु० 29,949/रूपये प्रति वर्ग मीटर की दर से स्टाम्प शुल्क अदा किया।		
बद्रीनाथ-देवप्रयाग मुख्य सड़क से दूरी -		50 से 200 मीटर तक।
क्रेता	-	पुरुष।
मौजा	-	तपोवन।
क्षेत्रफल	-	96.60 वर्ग मीटर।
निर्माण	-	निर्माण नहीं है।
मालियत विक्रय पत्र	-	40,00,000 /रूपये।
मुल्यांकन सर्किल दर के अनुसार	-	28,94,000 /रूपये।
भूमि का प्रकार	-	आवासीय।
कुल स्टाम्प शुल्क	-	2,00,000/रूपये।
Latitude	-	30.132861
Longitude	-	78.3211
ई-स्टाम्प सं०	-	IN-UK

प्रथमपक्ष/विक्रेता:- (1) श्री भारत सिंह निर्वाण (PAN- AONPS8173B)
 (2) श्री चरण सिंह निर्वाण (PAN- AMGPN3158C) पुत्रगण श्री मूलचन्द निर्वाण
 निवासी-ई-134, शास्त्रीनगर मेरठ, उत्तर प्रदेश। विक्रेतागण

द्वितीयपक्ष/क्रेता:- (1) श्री पंकज शर्मा (PAN- BBCPS4756H) पुत्र श्री हरीदत्त
 शर्मा निवासी-गंगानगर, ऋषिकेश जिला देहरादून (2) श्री नितेश कुमार (PAN-
 AKZPM8334N) पुत्र स्व० विनोद कुमार निवासी-10, आवास विकास, एल०आई०सी०
 इमारत ऋषिकेश जिला देहरादून (3) श्री ललित मोहन मिश्र (PAN -
 AGMPM6668A) पुत्र स्व० कमल नारायण मिश्र निवासी- देहरादून रोड, ऋषिकेश
 जिला देहरादून।

(विवरण विक्रीत सम्पत्ति)

आवासीय सम्पत्ति, भूमि खाता खतौनी सं० 86 (पुराना खाता सं० 41) फसली वर्ष 1414 से 1419 के अनुसार भूमि खसरा नं० 27क (पुराना खसरा नं० 66) विक्रीत क्षेत्रफल 231 वर्ग गज यानि 193.21 वर्ग मीटर, का 1/2 भाग यानि विक्रीत क्षेत्रफल 96.60 वर्ग मीटर स्थित मौजा तपोवन परगना तहसील नरेन्द्रनगर जिला टिहरी गढ़वाल।

यहकि विक्रीत भूमि विक्रेतागण के स्वामित्व वाली भूमि है तथा विक्रीत भूमि विक्रेतागणो ने किसी अन्य व्यक्ति को विक्रय नहीं की है।

विक्रेता :- श्री भारत सिंह निर्वाण, आधार कार्ड सं० 5856 3907 3738

विक्रेता :- श्री चरण सिंह निर्वाण, आधार कार्ड सं० 8509 3251 6027

क्रेता :- श्री पंकज शर्मा, आधार कार्ड सं० 9154 2173 5710

क्रेता :- श्री नितेश कुमार, आधार कार्ड सं० 6506 7342 3848

क्रेता :- श्री ललित मोहन मिश्र, आधार कार्ड सं० 9549 7722 8528

गवाह :- श्रीमती शुभा गुप्ता, आधार कार्ड सं० 2016 8490 4816

गवाह :- श्री सुनील गुप्ता, आधार कार्ड सं० 3110 6105 0691

यहकि नगर पंचायत तपोवन को उत्तराखण्ड शासन शहरी विकास अनुभाग -3, शासनादेश सं० 1853/(2)/IV(3)/2021-01(2न०नि०) दिनांक 27.12.2021 को तपोवन घुघत्याणी तल्ली, घुघत्याणी मल्ली, पाथे मध्ये बिलखेत, तोक एंव जामरीकाटल को नवगठित नगर पंचायत क्षेत्र तपोवन के रूप में गठित किया गया है। जिस कारण भूमि/सम्पत्ति पर उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एंव भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 लागू नहीं होता है।



1207



Bharat
14/1/14



14/1/14



Pankaj
14/1/14



14/1/14

-2- विक्रय पत्र

प्रथमपक्ष/विक्रेता:- (1) श्री भारत सिंह निर्वाण (2) श्री चरन सिंह निर्वाण पुत्रगण श्री मूलचन्द निर्वाण निवासी-ई-134, शास्त्रीनगर मेरठ, उत्तर प्रदेश।

विक्रेतागण

द्वितीयपक्ष/क्रेता:- (1) श्री पंकज शर्मा पुत्र श्री हरीदत्त शर्मा निवासी-गंगानगर, ऋषिकेश जिला देहरादून (2) श्री नितेश कुमार पुत्र स्व० विनोद कुमार निवासी-10, आवास विकास, एल०आई०सी० इमारत ऋषिकेश जिला देहरादून (3) श्री ललित मोहन मिश्र पुत्र स्व० कमल नारायण मिश्र निवासी- देहरादून रोड, ऋषिकेश जिला देहरादून।

क्रेतागण

जोकि विक्रेतागणों की अपनी भूमि जिसका पूर्ण विवरण इस विक्रय विलेख के अन्त में दिया गया है का विक्रेतागण मालिक, स्वामी व काबिज है निम्न वर्णित भूमि हर प्रकार के भार, बन्धन, रहन, कर्जा, सरकारी, गैर सरकारी, पारिवारिक वाद-विवाद, कुर्की, अदालत आदि-आदि से पाक एवं साफ दशा में है।

यहकि निम्न वर्णित भूमि विक्रेतागणों ने बजरिये पंजीकृत विक्रय पत्र के माध्यम से श्रीमती अंशु देशपाल पत्नी श्री के०के० देशवाल से क्रय की है जिसके विक्रय पत्र का पंजीकरण बही नं० 1, जिल्द 353 पृष्ठ 237 से 268 दस्तावेज नं० 361 पर दिनांक 26.04.2016 को कार्यालय सब-रजिस्ट्रार, देवप्रयाग जिला टिहरी गढ़वाल में विधिवत् पंजीकृत है।

यहकि निम्न वर्णित भूमि पूर्व विक्रेता श्रीमती अंशु देशवाल पत्नी श्री के०के० देशवाल ने बजरिये पंजीकृत विक्रय पत्र के माध्यम से श्री नवीन कुमार शर्मा पुत्र श्री किशन शर्मा से क्रय की है जिसके विक्रय पत्र का पंजीकरण बही नं० 1, जिल्द 283 पृष्ठ 1 से 10 दस्तावेज नं० 1072 पर दिनांक 08.08.2011 को कार्यालय सब-रजिस्ट्रार, देवप्रयाग जिला टिहरी गढ़वाल में विधिवत् पंजीकृत है।

यहकि विक्रेतागणों ने अपनी निम्न वर्णित भूमि का विक्रय अपने स्थिर मन, बुद्धि व इन्द्रियो की स्वस्थ दशा में, बिना किसी के सिखलाये, बिना बहकाये, वरन् अपनी स्वेच्छा से क्रेतागण (1) श्री पंकज शर्मा पुत्र श्री हरीदत्त शर्मा (2) श्री नितेश कुमार पुत्र स्व० विनोद कुमार (3) श्री ललित मोहन मिश्र पुत्र स्व० कमल नारायण मिश्र को मु० 40,00,000/रूपये (चालीस लाख रूपये) के प्रतिफल के बदले में इस विक्रय पत्र के माध्यम से विक्रय एवं हस्तान्तरण कर दी है, तथा समस्त विक्रय मूल्य की प्राप्ति इस विक्रय पत्र पर हस्ताक्षर करने से पूर्व निम्न प्रकार से प्राप्त की :-

Bharat
14/1/14

14/1/14

Pankaj Sharma
14/1/14

मु0 10,00,000 /रूपये (दस लाख रूपये) द्वारा आर0टी0जी0एस0 सं0 PUNBR52023101610065390 पंजाब नेशनल बैंक दिनांक 16.10.2023 के माध्यम से प्राप्त किये।

मु0 10,00,000 /रूपये (दस लाख रूपये) द्वारा आर0टी0जी0एस0 सं0 UTRCNRBR520230101765648434 केनरा बैंक दिनांक 17.10.2023 के माध्यम से प्राप्त किये।

मु0 20,00,000 /रूपये (बीस लाख रूपये) द्वारा आर0टी0जी0एस0 सं0 PUNBR52023101319981199 पंजाब नेशनल बैंक दिनांक 13.10.2023 के माध्यम से प्राप्त किये।

इस प्रकार सौदे की कुल राशि मु0 40,00,000 /रूपये (चालीस लाख रूपये) विक्रेतागणों ने क्रेतागणों से प्राप्त कर ली है, जिसकी प्राप्ति विक्रेतागणों को स्वीकार है।

इस प्रकार विक्रीत भूमि के बाबत कुछ भी लेना देना शेष नहीं रहा है, कब्जा मौके पर क्रेतागणों को करा दिया है क्रेतागणों को अधिकार होगा कि विक्रीत भूमि का जिस प्रकार चाहे उपयोग एवं उपभोग करे, विक्रय एवं हस्तान्तरण आदि करे।

यहकि क्रेतागणों आज से विक्रेतागणों के समान वर्णित भूमि के मालिक, स्वामी हो गये है। वर्णित विक्रीत भूमि में जो भी मालिकाना अधिकार, सुखाधिकार जैसे मौके पर कायम आवागमन के रास्ते, हवा, पानी, नाली, रोशनी, आदि सभी उपयोग एवं उपभोग के अधिकार जोकि आज दिन तक विक्रेता पक्ष को प्राप्त थे अथवा भविष्य में प्राप्त होना सम्भव हो वह सर्वाधिकार क्रेतागणों को समान रूप से प्राप्त होंगे।

यहकि क्रेतागणों को अधिकार होगा कि वर्णित विक्रीत भूमि के स्वामित्व अभिलेखों व राजस्व अभिलेखों से विक्रेतापक्ष का नाम खारिज कराकर अपना नाम कागजात माल में तन्हा दर्ज व अंकित करा लेवे, नामान्तरण कार्यवाही में विक्रेता पक्ष क्रेता पक्ष को सदैव अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करेगे, तथा भविष्य में क्रेता के स्वामित्व पुष्टि हेतु कोई लेख या बयान लिखकर देने की आवश्यकता हुई तो ऐसा लेख या बयान क्रेतापक्ष को लिखकर देने के लिये सदैव तत्पर रहेंगे।

यहकि वर्णित विक्रीत भूमि पर यदि आज से पूर्व किसी प्रकार की देनदारी, कर, टैक्स लगान आदि- आदि जो भी देय होगा उसको भुगतान करने की जिम्मेदारी हर प्रकार से विक्रेतागणों की होगी आज के बाद से भविष्य से लगाने वाले सभी टैक्स, लगान, देनदारीयां आदि - आदि को भुगतान करने की जिम्मेदारी क्रेतापक्ष व उसके वारिसानों की होगी।

यहकि वर्णित भूमि अथवा उसका कोई भाग क्रेतागणों के कब्जे से विक्रेतागणों की स्वामित्व कमी के कारण या दोष के कारण निकल जाता है तो क्रेता पक्ष को अधिकार होगा कि ऐसी क्षति की पूर्ति मय हर्जे खर्चे सहित विक्रेतागणों से कानूनन वसूल पा लेवे।

यहकि वर्णित भूमि का विक्रय मय सर्वाधिकार सहित विक्रेता द्वारा किया गया है। इस विक्रय पत्र के पाबन्द विक्रेतापक्ष एवं क्रेतागणों के उत्तराधिकारी, हित - प्रतिनिधि, स्थानापन्न समान रूप से सम्मिलित समझे जावेगे तथा वह भी पक्षों के समान सदैव इस विक्रय पत्र का पालन करेगे।

वांछित विवरण

यहकि विक्रीत भूमि के क्रय-विक्रय के सम्बन्ध में विक्रेतागणों एवं क्रेतागणों के मध्य पूर्व में कोई इकरारनामा पंजीकृत नहीं हुआ है।

Bhanoj
चरमल

Kalsh/M

Ranjai Sharma
M

यहकि विक्रेतागण किसी अनुसूचित जाति, जनजाति से सम्बन्धित नहीं है।
 यहकि विक्रेतागण एवं क्रेतागणों भारतीय नागरिक हैं।
 यहकि विक्रीत भूमि खाली भूमि है इस पर कोई पेड़, बाग या निर्माण आदि नहीं है।

यहकि विक्रीत भूमि आवासीय है।
 यहकि विक्रीत भूमि औद्योगिक बस्ती में नहीं है।
 यहकि विक्रीत भूमि मौजा - तपोवन परगना तहसील नरेन्द्रनगर जिला टिहरी गढ़वाल में स्थित है।
 यहकि विक्रीत भूमि के बाबत किसी भी न्यायालय में कोई वाद-विवाद विचाराधीन नहीं है।

यहकि विक्रीत सम्पत्ति की भूमि का कुल क्षेत्रफल 96.80 वर्ग मीटर है जिसमें भूमि पर निर्धारित सर्किल दर मय 5 प्रतिशत रोड साइडर सहित मु० 29,949/रूपये प्रति वर्ग मीटर की दर से आंकलन करने पर भूमि का मुल्यांकन मु० 28,94,000/रूपये होता है, भूमि का विक्रय मूल्य मु० 40,00,000/रूपये है, जिस पर नियमानुसार स्टाम्प शुल्क मु० 2,00,000/रूपये अदा किया गया है।

यहकि विक्रीत भूमि/प्रश्नगत भूमि सम्पत्ति Real Estate Act 2016 एवं यथा प्रख्यापित Uttarakhand Real Estate (Regulation and Development (General) Rules 2017 में परिभाषित "Real Estate Project Land" के अन्तर्गत नहीं है तथा विक्रेता की व्यक्तिगत सम्पत्ति है, विक्रीत सम्पत्ति किसी युप हाउसिंग Mixed Development Project, (आवासीय, व्यवसायिक तथा औद्योगिक प्रोजेक्ट) एवं व्यवसायिक प्रोजेक्ट अथवा Plotted Development Project, से सम्बन्धित नहीं है एवं विक्रेता Promoter/Developer अथवा Real Estate Agent नहीं है।

(विवरण विक्रीत भूमि)

आवासीय सम्पत्ति, भूमि खाता खतौनी सं० 86 (पुराना खाता सं० 41) फसली वर्ष 1414 से 1419 के अनुसार भूमि खसरा नं० 27क (पुराना खसरा नं० 66) विक्रीत क्षेत्रफल 231 वर्ग गज यानि 193.21 वर्ग मीटर, का 1/2 भाग यानि विक्रीत क्षेत्रफल 96.60 वर्ग मीटर स्थित मौजा तपोवन परगना तहसील नरेन्द्रनगर जिला टिहरी गढ़वाल, सम्पूर्ण सम्पत्ति की दिशाये इस प्रकार है:-

पूरब में - सम्पत्ति श्री नवीन कुमार, सीमा नाप 67 फीट 6 इंच।
 पश्चिम में - सम्पत्ति श्री राजेश कुमार अग्रवाल, सीमा नाप 71 फीट।
 उत्तर में - खाला, सीमा नाप 30 फीट।
 दक्षिण में - 25 फीट चौड़ा रास्ता, सीमा नाप 30 फीट।

रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 की धारा 32ए के अन्तर्गत अंगुलियों के निशान
 1- पक्षकार विक्रेता नाम श्री भारत सिंह निर्वाण हस्ताक्षर
 बाया हाथः (Left Hand) अंगूठा तर्जनी मध्यमा अनामिका कनिष्ठा

दायां हाथः (Right Hand) अंगूठा तर्जनी मध्यमा अनामिका कनिष्ठा

Bharat
 यशवंत सिंह

Ranjay Sharma

Dr. S.

-5-
 14/11/17

611 (33)

मौके की फोटो


प्रथमपक्ष/विक्रेता:- (1) श्री भारत सिंह निर्वाण (2) श्री चरम सिंह निर्वाण पुत्रगण श्री मूलचन्द निर्वाण निवासी-ई-134, शास्त्रीनगर मेरठ, उत्तर प्रदेश।

विक्रेतागण Pankaj Sharma

द्वितीयपक्ष/क्रेता:- (1) श्री पंकज शर्मा पुत्र श्री हरीदत्त शर्मा निवासी-गंगानगर, ऋषिकेश जिला देहरादून (2) श्री नितेश कुमार पुत्र स्व० विनोद कुमार निवासी-10, आवास विकास, एल०आई०सी० इमारत ऋषिकेश जिला देहरादून (3) श्री ललित मोहन मिश्र पुत्र स्व० कमल नारायण मिश्र निवासी- देहरादून रोड, ऋषिकेश जिला देहरादून।

क्रेतागण

दिनांक 27.10.2023



ह० विक्रेतागण

ह० क्रेतागण

Bharat Singh

Pankaj Sharma

Handwritten signature

4- पक्षकार क्रेता
बाया हाथ:(Left Hand)अंगूठा

नाम
तर्जनी

(3) श्री ललित मोहन मिश्र हस्ताक्षर
मध्यमा अनामिका कनिष्ठा



दायां हाथ:(Right Hand)अंगूठा

तर्जनी

मध्यमा

अनामिका

कनिष्ठा



अतः यह विक्रय पत्र आज दिनांक 27.10.2023 ई0 को स्थान देवप्रयाग जिला टिहरी गढवाल, में विक्रेता द्वारा गवाहान् के समक्ष स्वेच्छा से हस्ताक्षरित कर निष्पादित कर दिया गया है ताकि प्रमाण रहे व वक्त जरूरत पर काम आवे।

ह0 विक्रेतागण

(1) श्री भारत सिंह निर्वाण

(2) श्री चरन सिंह निर्वाण

ह0 गवाह

श्री शुभा गुप्ता

पत्नी श्री सुनील गुप्ता

निवासी-जीवनीमाई ऋषिकेश

जिला देहरादून।

ह0 क्रेतागण

(1) श्री पंकज शर्मा

(2) श्री नितेश कुमार

(3) श्री ललित मोहन मिश्र

ह0 गवाह

श्री सुनील गुप्ता

पुत्र श्री विष्णु प्रसाद गुप्ता

निवासी-जीवनीमाई ऋषिकेश

जिला देहरादून।

हम गवाहान के समक्ष दोनों पक्षकारों (विक्रेतागण व क्रेतागण) ने इस लेख पत्र पर अपने-अपने हस्ताक्षर किये है, विक्रीत भूमि/सम्पत्ति के स्वामित्व व विक्रय मुल्य के भुगतान व प्राप्ति के सम्बन्ध में हम गवाहान को कोई जानकारी नहीं है।


विक्रेतागण एवं क्रेतागण के कथनानुसार व प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर रचियता :-

अतुल
Court Computer

613

बही संख्या 1 जिल्द 867 के पृष्ठ 397 से 424 पर क्रमांक 1713

पर आज दिनांक 30 Oct 2023 को रजिस्ट्रीकरण किया गया।


रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी /
उप-निबंधक, देवप्रयाग
30 Oct 2023



614



Online Public Data Entry Summary

UKPDE2023090102045

DISTRICT NAME :देहरी गढ़वाल SRO :

Verified & Locked

27-Oct-2023

7:18:47PM

Appointment Date:

Appointment Time:

Appointment TokenNo:

Mutation Office तहसील नरेन्द्रनगर

17/12/2023

Deed/Article Type :Sale (Immovable)

Sub-Deed/Sub-Article :Sale(Residential Plot)

Village/Location For Index :तापोवन -१, कापिकेश-देवप्रयाग-बड़ीनाथ मार्ग

Village/Location/Road Selected for Circle RateList :तापोवन -१, कापिकेश-देवप्रयाग-बड़ीनाथ मार्ग

Khewal :

Khatoni :

Khasra :27क

:88

House/Flat No:

Area :96.6000 वर्ग मीटर

Latitude :30.1328610000

Longitude :78.3211000000

Land Value :2,894,000.00

Construction Value :0.00

Transaction Value :4,000,000.00

Market Value :2,894,000.00

Advance :0.00

Lease Period :0.00

Avg. Rent :

:0.00

Stamp Duty :200,000.00

Regn Fees :25,000.00

Passing Fees :100

Page :26

32

क्र.सं	निर्माण का प्रकार	अवसायिक निर्माण का विवरण			
		क्षेत्रफल			
क्र.सं	निर्माण क्षेत्र	आवासीय निर्माण का विवरण			
		निर्माण का प्रकार	निर्माण त्तक	हाथ वर्ष	रक
क्र.सं	सुगठान की विधि	निर्माण शुल्क का विवरण			
		घनराशि	संदर्भ क्रमांक		
1	Cash	25,000.00	---		
क्र.सं	सुगठान की विधि	स्वाम्य शुल्क का विवरण			
		घनराशि	संदर्भ क्रमांक	जाटी दिनांक	पट्टा विक्रेता आईडी
1	e-Stamp	200,000.00	---	27-Oct-2023	

Bharat
याचेंकर

Amki Shama

2023, 20/11/23

615 (32)

Date:

Appointment Time:

Appointment TokenNo:

Polling Office तहसील नरेन्द्रनगर

प्रत्याक्षरों का विवरण

प्रत्याक्षर का प्रकार	प्रत्याक्षर का विवरण	हस्ताक्षर	व्यवसाय	पैन नं	नोबार्न नं	पहचान पत्र संख्या
चिकेला / प्रथम पथ	श्री भारत सिंह निर्वाण पुष श्री भूमचंद निर्वाण निवासी उत्तर प्रदेश	<i>Arora</i>	PRIVATE JOB	ACNPS8173 B	9927050384	ADHAAR : 5856 3907 3738
चिकेला / प्रथम पथ	श्री भरत सिंह निर्वाण पुष श्री भूमचंद निर्वाण निवासी उत्तर प्रदेश	<i>भरत सिंह</i>	PRIVATE JOB	AMGPN315 8C	9927050389	ADHAAR : 6509 3251 6027
केला / द्वितीय पथ	श्री पंकज शर्मा पुष श्री हरिदत्त शर्मा निवासी अधिकत जिला देहरादून	<i>Pankaj Sharma</i>	PRIVATE JOB	BBCPS4756 H	9897585777	ADHAAR : 9154 2173 6710
केला / द्वितीय पथ	श्री विवेक कुमार पुष श्री स्व विनोद कुमार निवासी अधिकत जिला देहरादून	<i>Vivek Kumar</i>	PRIVATE JOB	AKZPM8334 N	9756599000	ADHAAR : 6506 7342 3848
केला / द्वितीय पथ	श्री सजित मोहन शिध पुष श्री स्व कमल नारायण शिध निवासी अधिकत जिला देहरादून	<i>Sajit Mohan</i>	PRIVATE JOB	AGMPM666 8A	9927050384	ADHAAR : 9549 7722 8528
गबाह	श्रीमती सुभा सुता पथी श्री सुनील सुता निवासी अधिकत जिला देहरादून	<i>Sudha Suta</i>	PRIVATE JOB		9259757907	ADHAAR : 2016 8490 4816
गबाह	श्री सुनील सुता पुष श्री विष्णु प्रसाद सुता निवासी अधिकत जिला देहरादून	<i>Sunil Suta</i>	PRIVATE JOB		9259757907	ADHAAR : 3110 6105 0691

Deed Writer /Advocate Name :ATUL BISHT



विक्रय पत्र

प्रमुख क्षेत्र	-	नगर पंचायत क्षेत्र।
सम्पत्ति मूल्यांकन सूची दिनांक 16.02.2023 से प्रभावी सूची के अनुसार पृष्ठ सं० 106 के क्रम सं० 1 मौजा तपोवन तहसील ऋषिकेश जिला देहरादून, आवासीय सर्किल दर मु० 28,522 /रुपये प्रति वर्ग मीटर, भूमि में रास्ता 5 मीटर से अधिक व 12 मीटर से कम चौड़ा होने की दशा में समान्य दर पर 5 प्रतिशत अधिक यानि मु० 29,949 /रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से स्टाम्प शुल्क अदा किया।		
बद्रीनाथ-देवप्रयाग मुख्य सड़क से दूरी-		50 से 200 मीटर तक।
क्रेता	-	पुरुष।
मौजा	-	तपोवन।
क्षेत्रफल	-	96.60 वर्ग मीटर।
निर्माण	-	निर्माण नहीं है।
मालियत विक्रय पत्र	-	40,00,000 /रुपये।
मुल्यांकन सर्किल दर के अनुसार	-	28,94,000 /रुपये।
भूमि का प्रकार	-	आवासीय।
कुल स्टाम्प शुल्क	-	2,00,000 /रुपये।
Latitude	-	30.132861
Longitude	-	78.3211
ई-स्टाम्प सं०	-	IN-UK

प्रथमपक्ष/विक्रेता:- (1) श्री भारत सिंह निर्वाण (PAN- AONPS8173B)
 (2) श्री चरण सिंह निर्वाण (PAN- AMGPN3158C) पुत्रगण श्री मूलचन्द निर्वाण
 निवासी-ई-134, शास्त्रीनगर मेरठ, उत्तर प्रदेश। विक्रेतागण

द्वितीयपक्ष/क्रेता:- (1) श्री पंकज शर्मा (PAN- BBCPS4756H) पुत्र श्री हरीदत्त शर्मा निवासी-गंगानगर, ऋषिकेश जिला देहरादून (2) श्री नितेश कुमार (PAN- AKZPM8334N) पुत्र स्व० विनोद कुमार निवासी-10, आवास विकास, एल0आई0सी0 इमारत ऋषिकेश जिला देहरादून (3) श्री ललित मोहन मिश्र (PAN- AGMPM6668A) पुत्र स्व० कमल नारायण मिश्र निवासी- देहरादून रोड, ऋषिकेश जिला देहरादून। क्रेतागण

(विवरण विक्रीत सम्पत्ति)

आवासीय सम्पत्ति, भूमि खाता खतौनी सं० 86 (पुराना खाता सं० 41) फसली वर्ष 1414 से 1419 के अनुसार भूमि खसरा नं० 27क (पुराना खसरा नं० 66) विक्रीत क्षेत्रफल 231 वर्ग गज यानि 193.21 वर्ग मीटर, का 1/2 भाग यानि विक्रीत क्षेत्रफल 96.60 वर्ग मीटर स्थित मौजा तपोवन परगना तहसील नरेन्द्रनगर जिला टिहरी गढ़वाल।

यहकि विक्रीत भूमि विक्रेतागण के स्वामित्व वाली भूमि है तथा विक्रीत भूमि विक्रेतागणो ने किसी अन्य व्यक्ति को विक्रय नहीं की है।

विक्रेता :- श्री भारत सिंह निर्वाण, आधार कार्ड सं० 5856 3907 3738

विक्रेता :- श्री चरण सिंह निर्वाण, आधार कार्ड सं० 8509 3251 6027

क्रेता :- श्री पंकज शर्मा, आधार कार्ड सं० 9154 2173 5710

क्रेता :- श्री नितेश कुमार, आधार कार्ड सं० 6506 7342 3848

क्रेता :- श्री ललित मोहन मिश्र, आधार कार्ड सं० 9549 7722 8528

गवाह :- श्रीमती शुभा गुप्ता, आधार कार्ड सं० 2016 8490 4816

गवाह :- श्री सुनील गुप्ता, आधार कार्ड सं० 3110 6105 0691

यहकि नगर पंचायत तपोवन को उत्तराखण्ड शासन शहरी विकास अनुभाग -3, शासनादेश सं० 1853 / (2) / IV(3) / 2021-01(2न0नि0) दिनांक 27.12.2021 को तपोवन घुघत्याणी तल्ली, घुघत्याणी मल्ली, पाथे मध्ये बिलखेत, तोक एंव जामरीकाटल को नवगठित नगर पंचायत क्षेत्र तपोवन के रूप में गठित किया गया है। जिस कारण भूमि/सम्पत्ति पर उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एंव भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 लागू नहीं होता है।

Bharat

चरण सिंह

Lalit

Ranjit Sharma -2

Sharma

11/9/23



Bharat Singh



Anand Singh



Ravi Singh



Lalit Mishra

-2-

विक्रय पत्र

प्रथमपक्ष/विक्रेता:- (1) श्री भारत सिंह निर्वाण (2) श्री चरन सिंह निर्वाण पुत्रगण श्री मूलचन्द निर्वाण निवासी-ई-134, शास्त्रीनगर मेरठ, उत्तर प्रदेश
विक्रेतागण

द्वितीयपक्ष/क्रेता:- (1) श्री पंकज शर्मा पुत्र श्री हरीदत्त शर्मा निवासी-गंगानगर, ऋषिकेश जिला देहरादून (2) श्री नितेश कुमार पुत्र स्व० विनोद कुमार निवासी-10, आवास विकास, एल०आई०सी० इमारत ऋषिकेश जिला देहरादून (3) श्री ललित मोहन मिश्र पुत्र स्व० कमल नारायण मिश्र निवासी- देहरादून रोड, ऋषिकेश जिला देहरादून।
क्रेतागण

जोकि विक्रेतागणों की अपनी भूमि जिसका पूर्ण विवरण इस विक्रय विलेख के अन्त में दिया गया है का विक्रेतागण मालिक, स्वामी व काबिज है निम्न वर्णित भूमि हर प्रकार के भार, बन्धन, रहन, कर्जा, सरकारी, गैर सरकारी, पारिवारिक वाद-विवाद, कुर्की, अदालत आदि-आदि से पाक एवं साफ दशा में है।

यहकि निम्न वर्णित भूमि विक्रेतागणों ने बजरिये पंजीकृत विक्रय पत्र के माध्यम से श्रीमती अंशु देशपाल पत्नी श्री के०के० देशवाल से क्रय की है जिसके विक्रय पत्र का पंजीकरण बही नं० 1, जिल्द 353 पृष्ठ 237 से 268 दस्तावेज नं० 361 पर दिनांक 26.04.2016 को कार्यालय सब-रजिस्ट्रार, देवप्रयाग जिला टिहरी गढवाल में विधिवत् पंजीकृत है।

यहकि निम्न वर्णित भूमि पूर्व विक्रेता श्रीमती अंशु देशवाल पत्नी श्री के०के० देशवाल ने बजरिये पंजीकृत विक्रय पत्र के माध्यम से श्री नवीन कुमार शर्मा पुत्र श्री किशन शर्मा से क्रय की है जिसके विक्रय पत्र का पंजीकरण बही नं० 1, जिल्द 283 पृष्ठ 1 से 10 दस्तावेज नं० 1072 पर दिनांक 08.08.2011 को कार्यालय सब-रजिस्ट्रार, देवप्रयाग जिला टिहरी गढवाल में विधिवत् पंजीकृत है।

यहकि विक्रेतागणों ने अपनी निम्न वर्णित भूमि का विक्रय अपने स्थिर मन, बुद्धि व इन्द्रियो की स्वस्थ दशा में, बिना किसी के सिखलाये, बिना बहकाये, वरन् अपनी स्वेच्छा से क्रेतागण (1) श्री पंकज शर्मा पुत्र श्री हरीदत्त शर्मा (2) श्री नितेश कुमार पुत्र स्व० विनोद कुमार (3) श्री ललित मोहन मिश्र पुत्र स्व० कमल नारायण मिश्र को मु० 40,00,000/रुपये (चालीस लाख रुपये) के प्रतिफल के बदले में इस विक्रय पत्र के माध्यम से विक्रय एवं हस्तान्तरण कर दी है, तथा समस्त विक्रय मूल्य की प्राप्ति इस विक्रय पत्र पर हस्ताक्षर करने से पूर्व निम्न प्रकार से प्राप्त की :-

Bharat Singh

Anand Singh

Lalit Mishra

Pankaj Sharma

मु0 10,00,000 /रुपये (दस लाख रुपये) द्वारा आर0टी0जी0एस0 सं0 UTIBR52023101100357188 एक्सेस बैंक दिनांक 11.10.2023 के माध्यम से प्राप्त किये।

मु0 5,00,000 /रुपये (पांच लाख रुपये) द्वारा आर0टी0जी0एस0 सं0 UTIBR52023101600364053/156 एक्सेस बैंक दिनांक 16.10.2023 के माध्यम से प्राप्त किये।

मु0 5,00,000 /रुपये (पांच लाख रुपये) द्वारा दिनांक 16.10.2023 को बैंक ट्रांसफर के माध्यम से प्राप्त किये।

मु0 10,00,000 /रुपये (दस लाख रुपये) द्वारा आर0टी0जी0एस0 सं0 UTRCNRBR5202301065199770 केनरा बैंक दिनांक 10.10.2023 के माध्यम से प्राप्त किये।

मु0 10,00,000 /रुपये (दस लाख रुपये) द्वारा आर0टी0जी0एस0 सं0 PUNBR52023101610065390 पंजाब नेशनल बैंक दिनांक 16.10.2023 के माध्यम से प्राप्त किये।

इस प्रकार सौदे की कुल राशि मु0 40,00,000 /रुपये (चालीस लाख रुपये) विक्रेतागणो ने क्रेता से प्राप्त कर ली है, जिसकी प्राप्ति विक्रेतागणो को स्वीकार है।

इस प्रकार विक्रीत भूमि के बाबत कुछ भी लेना देना शेष नहीं रहा है, कब्जा मौके पर क्रेता को करा दिया है क्रेता को अधिकार होगा कि विक्रीत भूमि का जिस प्रकार चाहे उपयोग एवं उपभोग करे, विक्रय एवं हस्तान्तरण आदि करे।

यहकि क्रेता आज से विक्रेतागणो के समान वर्णित भूमि के मालिक, स्वामी हो गये है। वर्णित विक्रीत भूमि मे जो भी मालिकाना अधिकार, सुखाधिकार जैसे मौके पर कायम आवागमन के रास्ते, हवा, पानी, नाली, रोशनी, आदि सभी उपयोग एवं उपभोग के अधिकार जोकि आज दिन तक विक्रेता पक्ष को प्राप्त थे अथवा भविष्य मे प्राप्त होना सम्भव हो वह सर्वाधिकार क्रेतागणो को समान रूप से प्राप्त होंगे।

यहकि क्रेता को अधिकार होगा कि वर्णित विक्रीत भूमि के स्वामित्व अभिलेखो व राजस्व अभिलेखो से विक्रेतापक्ष का नाम खारिज कराकर अपना नाम कागजात माल में तन्हा दर्ज व अंकित करा लेवे, नामान्तरण कार्यवाही मे विक्रेता पक्ष क्रेता पक्ष को सदैव अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करेगे, तथा भविष्य मे क्रेता के स्वामित्व पुष्टि हेतू कोई लेख या बयान लिखकर देने की आवश्यकता हुई तो ऐसा लेख या बयान क्रेतापक्ष को लिखकर देने के लिये सदैव तत्पर रहेंगे।

यहकि वर्णित विक्रीत भूमि पर यदि आज से पूर्व किसी प्रकार की देनदारी, कर, टैक्स लगान आदि— आदि जो भी देय होगा उसको भुगतान करने की जिम्मेदारी हर प्रकार से विक्रेतागणो की होगी आज के बाद से भविष्य से लगने वाले सभी टैक्स, लगान, देनदारीयां आदि — आदि को भुगतान करने की जिम्मेदारी क्रेतापक्ष व उसके वारिसानो की होगी।

यहकि वर्णित भूमि अथवा उसका कोई भाग क्रेता के कब्जे से विक्रेतागणो की स्वामित्व कमी के कारण या दोष के कारण निकल जाता है तो क्रेता पक्ष को अधिकार होगा कि ऐसी क्षति की पूर्ति मय हर्जे खर्चे सहित विक्रेतागणो से कानूनन वसूल पा लेवे।

यहकि वर्णित भूमि का विक्रय मय सर्वाधिकार सहित विक्रेता द्वारा किया गया है। इस विक्रय पत्र के पाबन्द विक्रेतापक्ष एवं क्रेता के उत्तराधिकारी, हित — प्रतिनिधि, स्थानापन्न समान रूप से सम्मिलित समझे जावेगे तथा वह भी पक्षो के समान सदैव इस विक्रय पत्र का पालन करेगे।

Bharat

सदस्य

Lalje M.M.

Tankai Shamma -4-

M.A.

वांछित विवरण

यहकि विक्रीत भूमि के क्रय-विक्रय के सम्बन्ध में विक्रेतागण एवं क्रेता के मध्य पूर्व में कोई इकरारनामा पंजीकृत नहीं हुआ है।

यहकि विक्रेतागण किसी अनुसूचित जाति, जनजाति से सम्बन्धित नहीं है।

यहकि विक्रेतागण एवं क्रेता भारतीय नागरिक हैं।

यहकि विक्रीत भूमि खाली भूमि है इस पर कोई पेड़, बाग या निर्माण आदि नहीं है।

यहकि विक्रीत भूमि आवासीय है।

यहकि विक्रीत भूमि औद्योगिक बस्ती में नहीं है।

यहकि विक्रीत भूमि मौजा - तपोवन परगना तहसील नरेन्द्रनगर जिला टिहरी गढ़वाल में स्थित है।

यहकि विक्रीत भूमि के बाबत किसी भी न्यायालय में कोई वाद-विवाद विचाराधीन नहीं है।

यहकि विक्रीत सम्पत्ति की भूमि का कुल क्षेत्रफल 96.80 वर्ग मीटर है जिसमें भूमि पर निर्धारित सर्किल दर मय 5 प्रतिशत रोड राईडर सहित मु0 29,949 /रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से आंकलन करने पर भूमि का मुल्यांकन मु0 28,94,000 /रुपये होता है, भूमि का विक्रय मूल्य मु0 40,00,000 /रुपये है, जिस पर नियमानुसार स्टाम्प शुल्क मु0 2,00,000 /रुपये अदा किया गया है।

यहकि विक्रीत भूमि/प्रश्नगत भूमि सम्पत्ति Real Estate Act 2016 एवं यथा प्रख्यापित Uttarakhand Real Estate (Regulation and Development (General) Rules 2017 में परिभाषित "Real Estate Project Land" के अन्तर्गत नहीं है तथा विक्रेता की व्यक्तिगत सम्पत्ति है, विक्रीत सम्पत्ति किसी ग्रुप हाउसिंग Mixed Development Project, (आवासीय, व्यवसायिक तथा औद्योगिक प्रोजेक्ट) एवं व्यवसायिक प्रोजेक्ट अथवा Plotted Development Project, से सम्बन्धित नहीं है एवं विक्रेता Promoter/Developer अथवा Real Estate Agent नहीं है।

(विवरण विक्रीत भूमि)

आवासीय सम्पत्ति, भूमि खाता खतौनी सं0 86 (पुराना खाता सं0 41) फसली वर्ष 1414 से 1419 के अनुसार भूमि खसरा नं0 27क (पुराना खसरा नं0 66) विक्रीत क्षेत्रफल 231 वर्ग गज यानि 193.21 वर्ग मीटर, का 1/2 भाग यानि विक्रीत क्षेत्रफल 96.60 वर्ग मीटर स्थित मौजा तपोवन परगना तहसील नरेन्द्रनगर जिला टिहरी गढ़वाल, सम्पूर्ण सम्पत्ति की दिशाये इस प्रकार है:-

- | | |
|------------|---|
| पूरव में | - सम्पत्ति श्री नवीन कुमार, सीमा नाप 67 फीट 6 इंच। |
| पश्चिम में | - सम्पत्ति श्री राजेश कुमार अग्रवाल, सीमा नाप 71 फीट। |
| उत्तर में | - खाला, सीमा नाप 30 फीट। |
| दक्षिण में | - .25 फीट चौड़ा रास्ता, सीमा नाप 30 फीट। |

Bharat

नरेन्द्रनगर

Kulje/17-14

Tambaji Shama
-5-

रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 की धारा 32ए के अन्तर्गत अंगुलियों के निशान

1- पक्षकार विक्रेता नाम श्री भारत सिंह निर्वाण हस्ताक्षर
बाया हाथ:(Left Hand)अंगूठा तर्जनी मध्यमा अनामिका कनिष्ठा

Barat



दायां हाथ:(Right Hand)अंगूठा तर्जनी मध्यमा अनामिका कनिष्ठा



2- पक्षकार विक्रेता नाम श्री चरन सिंह निर्वाण हस्ताक्षर
बाया हाथ:(Left Hand)अंगूठा तर्जनी मध्यमा अनामिका कनिष्ठा

Charan Singh



दायां हाथ:(Right Hand)अंगूठा तर्जनी मध्यमा अनामिका कनिष्ठा



3- पक्षकार क्रेता नाम (1) श्री पंकज शर्मा हस्ताक्षर
बाया हाथ:(Left Hand)अंगूठा तर्जनी मध्यमा अनामिका कनिष्ठा

Pankaj Sharma



दायां हाथ:(Right Hand)अंगूठा तर्जनी मध्यमा अनामिका कनिष्ठा



Barat

Charan Singh
Kabit/11.11

Pankaj Sharma

Sharma

-6-

3- पक्षकार क्रेता
बाया हाथ:(Left Hand)अंगूठा

नाम
तर्जनी

श्री नितेश कुमार
मध्यमा अनामिका

हस्ताक्षर
कनिष्ठा



दायां हाथ:(Right Hand)अंगूठा तर्जनी

मध्यमा

अनामिका

कनिष्ठा



3- पक्षकार क्रेता
बाया हाथ:(Left Hand)अंगूठा

नाम श्री ललित मोहन मिश्र
तर्जनी मध्यमा

अनामिका

हस्ताक्षर
कनिष्ठा



दायां हाथ:(Right Hand)अंगूठा तर्जनी

मध्यमा

अनामिका

कनिष्ठा



Bharat
मिश्र

Ramkrishna Sharmar

Lalit M.H.M.

Signature

अतः यह विक्रय पत्र आज दिनांक 27.10.2023 ई0 को स्थान देवप्रयाग जिला टिहरी गढवाल, में विक्रेता द्वारा गवाहान् के समक्ष स्वेच्छा से हस्ताक्षरित कर निष्पादित कर दिया गया है ताकि प्रमाण रहे व वक्त जरूरत पर काम आवे।

ह0 विक्रेतागण Bharat

(1) श्री भारत सिंह निर्वाण

(2) श्री चरन सिंह निर्वाण Bharat

ह0 क्रेतागण

(3) श्री नितेश कुमार Nitesh

(2) श्री पंकज शर्मा Pankaj Sharma

(1) श्री ललित मोहन मिश्र Lalit Mishra

ह0 गवाह Shubh Singh

श्री शुभा गुप्ता

पत्नी श्री सुनील गुप्ता

निवासी-जीवनीमाई ऋषिकेश

जिला देहरादून।

ह0 गवाह Sh

श्री सुनील गुप्ता

पुत्र श्री विष्णु प्रसाद गुप्ता

निवासी-जीवनीमाई ऋषिकेश

जिला देहरादून।

हम गवाहान के समक्ष दोनों पक्षकारों (विक्रेतागण व क्रेतागण) ने इस लेख पत्र पर अपने-अपने हस्ताक्षर किये हैं, विक्रीत भूमि/सम्पत्ति के स्वाभित्त्व व विक्रय मुल्य के भुगतान व प्राप्ति के सम्बन्ध में हम गवाहान को कोई जानकारी नहीं है।


विक्रेतागण एवं क्रेतागण के कथनानुसार व प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर रचियता :- अतुल बिष्ट Atul Bist
Court एडवोकेट Court Advocate

624

(46)

वही संख्या 1 जिल्द 867 के पृष्ठ 365 से 396 पर क्रमांक 1712

पर आज दिनांक 30 Oct 2023 को रजिस्ट्रीकरण किया गया।


रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी /
उप-निबंधक, देवप्रयाग
30 Oct 2023



625

47

Taker No. 1

Answer 1/3

Reg. No

361
2016



Online Public Data Entry Summary



UKPDE2016090100397

DISTRICT NAME : दिल्ली नगरपालिका SRO : दिल्ली

361 - I - 2016

25-Apr-2016

4:20:53PM

1. Sale/Lease Type

Sale (Immovable)

2. Sale/Lease/Other

Sale/Residential Plot

3. Plot location

अधिसर (50 मीटर से काटने) (अधिकतम - दिल्ली - अधिसर गेट गार्ड में 50 मीटर से काटने)

Area

193.2100 वर्ग मीटर

Transaction Value : 2,400,000.00

Market Value : 2,400,000.00

Regn Fees : 25,000.00

Stamp Duty : 120,000.00

4. Lease

0.00

Lease Period : 0.00

Avg. Rent : 0.00

Construction Value : 0.00

5. Floor

27.00

6. Quota

Knowl : 00

House/Flat

7. Plot Area

2,400,000.00

Page

22
32

Words : 1,000

Deed Writer

Advocate Name : Mahima

Shankar Saxena

अवसाधिक निर्माण का विवरण		आवासीय निर्माण का विवरण		निर्दिष्ट शुल्क का विवरण		स्टाम्प शुल्क का विवरण		पंजीकारों का विवरण	
क्र.सं.	विवरण का प्रकार	विवरण का प्रकार	विवरण का	प्रकार	मदरबं कमांक	प्रकार	प्रकार	विवरण	विवरण
1	निर्माण का प्रकार	विवरण का प्रकार	विवरण का	प्रकार	मदरबं कमांक	प्रकार	प्रकार	विवरण	विवरण
2	निर्माण क्षेत्र	विवरण का प्रकार	विवरण का	प्रकार	मदरबं कमांक	प्रकार	प्रकार	विवरण	विवरण
3	मुद्रण का विधि	प्रकार	मदरबं कमांक	प्रकार	मदरबं कमांक	प्रकार	प्रकार	विवरण	विवरण
4	मुद्रण का विधि	प्रकार	मदरबं कमांक	प्रकार	मदरबं कमांक	प्रकार	प्रकार	विवरण	विवरण
5	पंजीकार का प्रकार	विवरण का प्रकार	विवरण का	प्रकार	मदरबं कमांक	प्रकार	प्रकार	विवरण	विवरण
6	पंजीकार का प्रकार	विवरण का प्रकार	विवरण का	प्रकार	मदरबं कमांक	प्रकार	प्रकार	विवरण	विवरण
7	पंजीकार का प्रकार	विवरण का प्रकार	विवरण का	प्रकार	मदरबं कमांक	प्रकार	प्रकार	विवरण	विवरण
8	पंजीकार का प्रकार	विवरण का प्रकार	विवरण का	प्रकार	मदरबं कमांक	प्रकार	प्रकार	विवरण	विवरण
9	पंजीकार का प्रकार	विवरण का प्रकार	विवरण का	प्रकार	मदरबं कमांक	प्रकार	प्रकार	विवरण	विवरण

विक्रय पत्र

प्रमुख क्षेत्र	-	ग्रामीण क्षेत्र
मौजा	-	तपोवन
पृष्ठ संख्या	-	
सर्किल दर	-	12,230/-रुपये प्रतिवर्ग मी०
प्रयोजन	-	आवासीय
क्षेत्रफल	-	193.21 वर्ग मीटर
अधिकेश-बदीनाथ मार्ग मार्ग से दूरी	-	200 मीटर
मालयित विक्रय पत्र	-	23,63,000/-रुपये
बाजारी मूल्य जिस पर स्टाम्प दिया जा रहा है-	-	24,00,000/- रुपये
स्टाम्प शुल्क	-	1,20,000/- रुपये
स्टाम्प संख्या	-	13

मै कि श्रीमति अंशु देशवाल पत्नी श्री के०के० देशवाल निवासी-ग्राम घुघत्याणी, तपोवन, पट्टी घमान्दस्वै, तहसील नरेन्द्रनगर, जिला टिहरी गढ़वाल।

..... विक्रेता

विदित हो कि विक्रेता की अपनी भूमि जिसका पूर्ण विवरण इस विक्रय पत्र के अन्त में दिया गया है का विक्रेता मालिक, स्वामी व काबिज है। उसको बदस्त (1) श्री भारत सिंह निर्वाण एवं (2) श्री चरत सिंह निर्वाण पुत्रगण श्री मूलचन्द निर्वाण निवासीगण- ई-134, शास्त्रीनगर, मेरठ, उत्तर प्रदेश को मु० 24,00,000/- रुपये (चौबीस लाख रुपये) के प्रतिफल के बदले में इस विक्रय पत्र के माध्यम से विक्रय एवं हस्तान्तरण कर दी है तथा विक्रेता ने क्रेतागण से कुल विक्रय मूल्य लेख अनुसार प्राप्त कर लिया है।

विवरण विक्रित भूमि

एक भूमि खाता संख्या-86 (पुराना-41), खसरा संख्या 27क (पुराना खसरा संख्या-66), रकबा 231 वर्ग गज यानि 193.21 वर्ग मीटर स्थित घुघत्याणी तल्ली, मौजा तपोवन, तहसील व परगना नरेन्द्रनगर, जिला टिहरी गढ़वाल।

1. विक्रेता- आधार कार्ड नं०-8381 9279 5370 PAMN- ALKPD41756
2. क्रेता संख्या-1 पैन कार्ड नं०-AONPS8173B
3. क्रेता संख्या-2, आधार कार्ड नं०-8509 3251 6027 PAMN- AM6PN3158C
4. गवाह - श्री जगमोहन पयाल, D.L. No.UK-1420010030135
5. गवाह- श्री नितिन माहेश्वरी, D.L. No.N-22384

Anshu

भारत सिंह
चरत सिंह

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

₹. 15000

पन्द्रह हजार रुपये

भारत

FIFTEEN THOUSAND RUPEES

Rs. 15000

उत्तराखण्ड UTTARAKHAND

202330



Mahirna Shankar Saxena
Advocate
Reg. No. UP/6579/92, UA-2333/04

Mahirna Shankar Saxena
Advocate
Reg. No. UP/6579/92, UA-2333/04



Mahirna Shankar Saxena
Advocate
Reg. No. UP/6579/92, UA-2333/04

विक्रय पत्र

मे कि श्रीमति अंशु देशवाल पत्नी श्री कंठकंठ देशवाल निवासी-ग्राम घुघत्याणी, तपोवन, पट्टी धमान्दरस्यू, तहसील नरेन्द्रनगर, जिला टिहरी गढ़वाल।

..... विक्रेता

एवं

(1) श्री भारत सिंह निर्वाण एवं (2) श्री चरत सिंह निर्वाण पुत्रगण श्री मूलचन्द निर्वाण निवासीगण-ई-134, शास्त्रीनगर, मेरठ, उत्तर प्रदेश।

केतागण

विदित हो कि विक्रेता अपनी भूमि जिसका पूर्ण विवरण इस विक्रय पत्र के अन्त में दिया गया है की विक्रेता मालिक, स्वामी व काबिज है। निम्न वर्णित भूमि हर प्रकार के भार बन्धन, रहन, गिरवी आदि-आदि से पाक एवं साफ दशा में है।

Anshu

Bharat

चरत सिंह

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.
15000

पन्द्रह हजार रुपये

FIFTEEN
THOUSAND RUPEES

Rs.
15000

INDIA

उत्तराखण्ड UTTARAKHAND

202333

यह कि निम्न वर्णित भूमि विक्रेता ने श्री नवीन कुमार शर्मा पुत्र श्री किशन शर्मा निवासी तपोवन, पट्टी धमान्दस्वू, तहसील नरेन्द्रनगर, जिला टिहरी गढ़वाल से पंजीकृत विक्रय डूत्र द्वारा कय की है जिसका पंजीयन उपनिबन्धक कार्यालय देवप्रयाग में बही नं० 01, जिल्द 283, पृष्ठ 01 से 10 में दस्तावेज नम्बर-1072 पर आज दिनांक 08.08.2011 को विधिवत् पंजीकृत है तथा विक्रेता का नाम तहसील नरेन्द्रनगर, जिला टिहरी गढ़वाल के राजस्व अभिलेखों में दर्ज चली आ रही है। पूर्व विक्रेता श्री नवीन कुमार शर्मा का नाम फसली वर्ष 2008 से 2013 फसली में दर्ज है। पूर्व विक्रेता ने उक्त सम्पत्ति दिनांक 31.03.2011 को राजस्व बाद संख्या- /11, नवीन कुमार बनाम सरकार, अन्तर्गत धारा-143 जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम के अन्तर्गत अकृषित घोषित करायी हुई है। इस प्रकार विक्रेता को निम्न वर्णित भूमि को विक्रय एवं हस्तान्तरण करने का अधिकार कानूनन प्राप्त है।

Anshu
Bharat

चरत सिंह

बही संख्या 1 रजिस्ट्रीकरण संख्या 361 वर्ष 2016

Sale (Immovable)	प्रतिफल रु0 : 2,400,000.00			
Sale(Residential Plot)	मालियत रु0 : 2,400,000.00			
रजिस्ट्रेशन शुल्क रु0 25,000.00	प्रतिनिधि शुल्क रु0 10.00	इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेसिंग शुल्क रु0 320.00	कुल योग रु0 25,330.00	शब्द सगभग 1,000

श्री भारत सिंह निर्बाण पुत्र श्री मूलचंद निवासी उत्तर प्रदेश ने आज दिनांक 26 Apr 2016 समय मध्य 11AM व 12PM को कार्यालय उपनिबन्धक देवप्रयाग में प्रस्तुत किया।



Bharat

भारत सिंह निर्बाण

उपनिबन्धक
देवप्रयाग
26-Apr-2016

इस लेख पत्र का निष्पादन विलेख में लिखित तथ्यों को सुन व समझकर श्रीमती अंशु देशवाल पत्नी श्री के के देशवाल निवासी टिहरी गढ़वाल । ने विक्रय धन मुबलिग रु0 2,400,000.00 प्रलेखानुसार पाकर निष्पादन स्वीकार किया । इस लेखपत्र का निष्पादन केला श्री भारत सिंह निर्बाण पुत्र श्री मूलचंद निवासी उत्तर प्रदेश । श्री चरत सिंह निर्बाण पुत्र श्री मूलचंद निवासी उत्तर प्रदेश । ने भी स्वीकार किया ।

बित्तकी पहचान श्री जगमोहन पयाल पुत्र श्री बचन सिंह निवासी टिहरी गढ़वाल तथा श्री नितिन माहेधरी पुत्र श्री रवि शंकर माहेधरी निवासी उत्तर प्रदेश ने किया ।

उपनिबन्धक
देवप्रयाग
26-Apr-2016



उत्तराखण्ड UTTARAKHAND

218334

202334

यह कि विक्रेता ने अपनी निम्न वर्णित भूमि को अपने स्थिर मन, बुद्धि व इन्द्रियों की स्वरूप दशा में, बिना किसी के सिखलाये बिना बहकाये, वरन अपनी इच्छा से कंतागण (1) श्री भारत सिंह निर्वाण एवं (2) श्री चरत सिंह निर्वाण पुत्रगण श्री मूलचन्द निर्वाण को मु० 24,00,000/- रुपये (चौबीस लाख रुपये) के प्रतिफल के बदले में इस विक्रय पत्र के माध्यम से विक्रय एवं हस्तान्तरण कर दी है तथा विक्रेता ने कंतागण से कुल विक्रय मूल्य निम्न प्रकार प्राप्त कर ली है-

- (1) मु० 24,00,000/- रुपये (चौबीस लाख रुपये) बैंक ड्राफ्ट संख्या-955471 दिनांकित 22.04.2016, भारतीय स्टेट बैंक, शाखा जलपाई, नर मेरठ।
- (2) मु० 8,00,000/- रुपये (छह लाख रुपये) बैंक ड्राफ्ट संख्या-955472 दिनांकित 22.04.2016, इलाहाबाद बैंक, शाखा तेजगढी, शास्त्रीनगर।
- विक्रेता स्वीकार करती है।

Anshu

Bharat

D. T.

बही संख्या 1 रजिस्ट्रीकरण संख्या 361 वर्ष 2016

प्रतिबद्ध
राधा निवासी



Anshu Deshpande

अंशु देशपांडे



Bharat Singh

भारत सिंह निर्वाण



Charat Singh

चरत सिंह निर्वाण



Jagmohan Pyal

जगमोहन पयाल



Maheshwari

महाशेखरी

प्र एवं साक्षीगण भद्रे प्रतीत होते हैं। सभी के अंगुष्ठ चिन्ह नियमानुसार लिये गये है।

रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी /
उप-निबंधक, देवप्रयाग
26 Apr 2016

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.
15000FIFTEEN
THOUSAND RUPEES

पन्द्रह हजार रुपये

Rs.
15000

INDIA

उत्तराखण्ड UTTARAKHAND

202335

इस प्रकार विक्रित भूमि के विक्रय मूल्य के बाबत विक्रेता व क्रेतागण के मध्य अब कुछ भी लेन-देन शेष नहीं रहा है कच्चा मौके पर विक्रेता ने क्रेतागण का करा दिया है। क्रेतागण को अधिकार होगा कि विक्रित भूमि से जो भी मालिकाना अधिकार, सुखाधिकार, हवा, पानी, रास्ता, बिजली आदि का जो कि आज दिन तक विक्रेता को प्राप्त थे अथवा भविष्य में प्राप्त होना सम्भव हो वह सर्वाधिकार क्रेतागण को समान रूप से प्राप्त होंगे।

यह कि क्रेतागण को अधिकार होगा कि वर्णित विक्रित भूमि के स्वामित्व अभिलेखों व राजस्व अभिलेखों से विक्रेता का नाम खारिज कराकर अपना नाम माल कागजात माल में तन्हा दर्ज करा लेवे, नामान्तरण कार्यवाही में विक्रेता, क्रेतागण का सदैव अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करेगा तथा भविष्य में क्रेता के स्वामित्व पुष्टि हेतु कोई लेख या बयान लिखकर देने की आवश्यकता हुई तो ऐसा लेख या बयान विक्रेता क्रेतागण के पक्ष में लिखकर देने के लिये सदैव तत्पर रहेगा।

Anshu

चरत सिंह

633

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.
15000

FIFTEEN
THOUSAND RUPEES

पन्द्रह हजार रुपये

Rs.
15000



उत्तराखण्ड UTTARAKHAND

202336

यह कि विक्रित भूमि पर यदि आज से पूर्व किसी प्रकार की कोई देनदारी, कर, टैक्स, लगान आदि देया होगा उसको भुगतान करने की जिम्मेदारी विक्रेता की होगी तथा आज के बाद क्रेतागण व उसके वारिसानों की होगी।

यह कि यदि वर्णित भूमि अथवा उसका कोई भाग क्रेतागण के कब्जे से विक्रेता के स्वामित्व दोष के कारण निकल जाता है तो क्रेता पक्ष को अधिकार होगा कि ऐसी क्षति-पूर्ति मय हर्जे-खर्चे सहित विक्रेता से कानूनन वसूल पा लेवे।

यह कि वर्णित भूमि का विक्रय मय सर्वाधिकार सहित विक्रेता द्वारा किया गया है। इस विक्रय पत्र के पावन्द विक्रेता पक्ष एवं क्रेता पक्ष के उत्तराधिकारी, हित-प्रतिनिधि, स्थानापन्न समानरूप से सम्मिलित समझे जावेगें तथा वह भी दोनों पक्षों के समान सदैव इस विक्रय पत्र का पालन करेगें।

Anshu
Bharad

परा सिंह

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.
15000

FIFTEEN
THOUSAND RUPEES

पन्द्रह हजार रुपये

Rs.
15000

INDIA

उत्तराखण्ड UTTARAKHAND

202329

वांछित विवरण

यह कि विक्रित भूमि के क्रय विक्रय के सम्बन्ध में विक्रेता एवं क्रेतागण के मध्य पूर्व में कोई झकरारनामा पंजीकृत नहीं हुआ है।

यह कि विक्रेता एवं क्रेतागण अनुसूचित जाति व जनजाति से सम्बन्धित नहीं है।

यह कि विक्रित भूमि के बावत किसी भी न्यायालय में कोई वाद-विवाद विचाराधीन नहीं है।

यह कि विक्रित भूमि ऋषिकेश-बद्रीनाथ मोटर मार्ग से 200 मीटर की दूरी पर ग्रामीण क्षेत्र सुघत्याणी तल्ली मौजा-तपोवन में स्थित है।

यह कि विक्रित भूमि सीलिंग आदि से मुक्त है।

यह कि विक्रित भूमि पूर्णतः खाली है जिस पर पेड़, बाग, निर्माण आदि नहीं है।

यह कि विक्रित भूमि औद्योगिक बस्ती में नहीं है।

यह कि विक्रित भूमि आवासीय प्रयोजन हेतु क्रय की जा रही है।

Ans

Bharat

परत सिंह



उत्तराखण्ड UTTARAKHAND

202332

यह कि विक्रेता एवं क्रेता/उभयपक्ष विदेशी नागरिक नहीं है तथा विदेशों में रह रहे भारतीय मूल के नहीं है। इसके अतिरिक्त उभयपक्ष प्राकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगाणिस्तान, चीन, ईरान, नेपाल तथा भूटान के नागरिक नहीं है बल्कि क्रेता एवं विक्रेता भारतीय नागरिक है।

यह कि विक्रित सम्पत्ति का वास्तविक मूल्य 24,00,000/- है। विक्रित भूमि का कुल क्षेत्रफल 193.21 वर्ग मीटर है, जिस पर शासकीय मूल्यांकन मु० 12,230/- रुपये प्रतिवर्ग मीटर की दर से भूमि का शासकीय मूल्यांकन मु० 23,63,000/- रुपये होता है। भूमि मु० 24,00,000/- रुपये में कय की जा रही है जिस पर नियमानुसार स्टाम्प शुल्क 1,20,000/- रुपये अदा किया जा रहा है।

Anshu

Bharat

भारत सिंह



उत्तराखण्ड UTTARAKHAND

A 214639

यह कि केतागण के पास वर्ष 2003 में अपनी कोई अचल सम्पत्ति नहीं थी और केतागण उत्तरांचल की कृषक श्रेणी के अन्तर्गत नहीं आते हैं और यह भूमि आवासीय प्रयोजन हेतु कय की जा रही है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 की धारा 154(4)(3) के अधीन भूमि कय कर रहे हैं।

यह कि केतागण ने उत्तरांचल अधिनियम 29/03 द्वारा संशोधित दिनांक 15.01.2004 का कोई उल्लंघन नहीं किया है और न ही भविष्य में करेंगे।

Anshu
Bharat
चरद सिंह



उत्तराखण्ड UTTARAKHAND

494487

विवरण विकित भूमि

एक भूमि खाता संख्या-86 (पुराना-41), खसरा संख्या 27क (पुराना खसरा संख्या-66), रकबा 231 वर्ग गज यानि 193.21 वर्ग मीटर स्थित मौजा तपोवन, तहसील व परगना नरेन्द्रनगर जिला टिहरी गढ़वाल, जिसकी सीमाएं व नाप निम्न प्रकार है :-

- पूरब में - सम्पत्ति श्री नवीन कुमार, सीमा नाप 67 फीट 6 इंच।
 पश्चिम में - सम्पत्ति राजेश अग्रवाल, सीमा नाप 71
 उत्तर में - खाला, सीमा नाप 30 फीट।
 दक्षिण में - 25 फीट चौड़ा रास्ता, सीमा नाप 30 फीट।

A/SUN

Bharat

चरन सिंह

638

60



भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये

ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000

Rs.1000



उत्तराखण्ड UTTARAKHAND

494488

रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 की धारा 32-ए के अन्तर्गत

(Finger Print) अंगुलियों के निशान

पक्षकार विकेता

नाम- श्रीमति अंशु देशवाल

हस्ताक्षर

Anshu

	अनुष्ठा	तर्जनी	मध्यमा	अनामिका	कनिष्ठा
बाया हाथ					
दाया हाथ					

Anshu
Bhargava

अंशु देशवाल



उत्तराखण्ड UTTARAKHAND

494489

पक्षकार की संख्या-1

नाम- श्री भारत सिंह निर्वाण

Bhara
हस्ताक्षर

	अनुष्ठा	तर्जनी	मध्यमा	अनामिका	कनिष्ठा
बायां हाथ					
दायां हाथ					

Arun *Bhara*
भारत सिंह

640

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये

ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000

Rs.1000

INDIA

उत्तराखण्ड UTTARAKHAND

494490

पक्षकार की संख्या-2

नाम- श्री चरत सिंह निर्वाण

हस्ताक्षर चरत सिंह

	अनुष्ठा	तर्जनी	मध्यमा	अनामिका	कनिष्ठा
बायां हाथ					
दायां हाथ					

Anshu Bhargava

चरत सिंह

641

63

विक्रय पत्र


श्रीमति अंशु देशवाल पत्नी श्री के०के० देशवाल निवासी-ग्राम घुघत्याणी, तपोवन, पदटी
तहसील नरेन्द्रनगर, जिला टिहरी गढ़वाल।

..... विक्रेता

एवं

(1) श्री भारत सिंह निर्वाण एवं (2) श्री चरत सिंह निर्वाण पुत्रगण श्री मूलचन्द निर्वाण
निवासीगण-ई-134, शास्त्रीनगर, मेरठ, उत्तर प्रदेश।

केतागण

विक्रित भूमि का फोटोग्राफ्स

(भारत सिंह निर्वाण)

केता संख्या-1

चरत सिंह
(चरत सिंह निर्वाण)

केता संख्या-2

अंशु
(श्रीमति अंशु देशवाल)

(श्रीमति अंशु देशवाल)

विक्रेता

642

64



उत्तराखण्ड UTTARAKHAND

494491

अतः यह विक्रय पत्र आज दिनांक 26.04.2016 को स्थान देवप्रयाग, जिला टिहरी गढ़वाल में विक्रेता द्वारा गवाहन के समक्ष स्वेच्छा से हस्ताक्षरित कर निष्पादित कर दिया गया है ताकि प्रमाण रहे व वक्त जरूरत पर काम आवे।

भारत सिंह
(भारत सिंह निर्वाण)

केता संख्या-1

चरत सिंह
(चरत सिंह निर्वाण)

केता संख्या-2

अंशु

(श्रीमति अंशु देशवाल)

विक्रेता

ह0 गवाह :- *4/24/16*

1. श्री जगमोहन पयाल
पुत्र श्री बचन सिंह
निवासी-तपोवन, टिहरी गढ़वाल।

2. श्री नितिन माहेश्वरी
पुत्र श्री रवि शंकर माहेश्वरी
निवासी-शास्त्रीनगर मेरठ, उत्तर प्रदेश।

रचयिता एवं गवाहों की शिनाख्त पर फोटो प्रमाणितकर्ता :-


Mahima Shanker Sakseena
Reg. No. 1/2012, U.A. 21/33/04
महिमा शंकर सक्सेना

एडवोकेट

मो0- 9412964001

12
28-4-16

361



सहायक कोषाधिकारी
(कैश)
नरेन्द्रनगर (टिगा)

प्राप्त
श्री 28/4/16

31 MAR 2016

बही संख्या 1 जिल्द 353 के पृष्ठ 237 से 268 पर क्रमांक 361

पर आज दिनांक 26 Apr 2016 को रजिस्ट्रीकरण किया गया।


रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी /
उप-निबंधक, देवप्रयाग
26 Apr 2016

1072-I-11

विक्रय पत्र

मालियत विक्रय पत्र	- 6,19,000 / रुपये ।
बाजारो मूल्य जिला पर स्टाम्प दिया है	- 6,19,000 / रुपये ।
स्टाम्प शुल्क	- 23,500 / रुपये ।
विक्रय मूल्य सुबलिंग	- 6,19,000 / रुपये ।
गाव या भौजा / बाके	- तपोवन ।

मैं कि, श्री नवीन कुमार शर्मा पुत्र श्री श्रीमिश्रशर्मा निवासी तपोवन, पट्टी घमान्दस्यू, तहसील नरेन्द्र नगर, जिला टिहरी गढ़वाल । _____ विक्रेता ।

एवम्

श्रीमती अंशु देशवाल पत्नी श्री के० के० देशवाल निवासी ग्राम घुघत्यागी, तपोवन, पट्टी घमान्दस्यू, जिला टिहरी गढ़वाल। _____ क्रेता ।

विवरण भूमि

भूमि का सम्पूर्ण विवरण इस विक्रय पत्र के अन्त में दिया गया है।

विक्रेता का पैन - ANKPK3699Q

क्रेता का पैन - ALKPD4175G

Wanku Anshu

645

1072 J-11



उत्तरांचल UTTARANCHAL

476926



विक्रय पत्र

मैं कि, श्री नवीन कुमार शर्मा पुत्र श्री श्रीधरान्न शर्मा निवासी त. पट्टा, धान्दसू तहसील
मेरठ नगर, जिला टिहरी गढ़वाल । विक्रेता ।

एवम्

श्री. गवाल पत्नी श्री के० के० देशवाल । श्री. कल्याण तपोवन, पट्टी
धान्दसू, जिला टिहरी गढ़वाल । केता ।

जो कि विक्रेता भूमि जिसका पूर्ण विवरण इस विक्रय पत्र के अन्त में दिया गया है क मालका काबिज एव स्वामी
है इसमें विक्रेता के साथ अन्य कोई साझी व भागीदार नहीं है तथा वर्णित भूमि प्रत्येक प्रकार के भार बन्धन आदि से
मुक्त एवं बिल्कुल साफ़ साफ़ दशा में है तथा कोई भी वाद विवाद आदि वर्णित भूमि की बाबत किसी भी न्यायालय में
लम्बित नहीं है इस प्रकार विक्रेता को अपनी निम्न वर्णित भूमि को विक्रय, हस्तान्तरण करने के समस्त अधिकार प्राप्त
है ।

Handwritten signatures: V. Anshu

705
1 श्रीमती अंशु देवावल जी के बैंक खाते में
शुद्ध धनराशि 10,100/- का खाता बंद
कर दिया गया है।
बैंक अधिकारी



विलय पत्र - 6.19.000/-
निर्देश शुल्क 10,000 + 50 + 50 = 10,100/-

शुद्ध धनराशि 100
श्रीमती अंशु देवावल जी के बैंक खाते में
शुद्ध धनराशि 10,100/- का खाता बंद
कर दिया गया है।
10 11

Ra. Datta Mishra
08/08/2011
सब रजिस्ट्रार
बिधवाग (दि. नं.)

Anshu





उत्तरांचल UTTARANCHAL

517627

-3-

यह कि विक्रेता ने अपनी निम्न वर्णित भूमि को अपनी प्रसन्नता से बिना किसी के सिखलाए बहकाए बिना किसी अनुचित दबाव व प्रभाव के वरन् अपनी स्वेच्छा से अपने स्वस्थ मन व बुद्धि की दशा में अपने समस्त अधिकार स्वामित्व, निकास-हवा, पानी, रोशनी, चारता आदि आदि जो भी विक्रेता को आज दिन तक प्राप्त है या भविष्य में प्राप्त होने सम्भव है वह सब के सब मुब0- 6,19,000/रुपये (छः लाख उन्नीस हजार रुपये) में क्रेता श्रीमती अंशु देशवाल पत्नी श्री के0 के0 देशवाल, को विक्रय कर दिया है और विक्रीत भूमि का सम्पूर्ण विक्रय मूल्य विक्रेता ने क्रेता से उत्तरांचल ग्रामीण बैंक का एक चेक संख्या 263712 दिनांक 07.08.2011 के द्वारा प्राप्त कर लिया है जो कि स्वीकार है तथा विक्रय मूल्य में से विक्रेता का अब क्रेता से कुछ भी लेना शेष नहीं रहा है।

यह कि कब्जा व दखल-मालकाना विक्रेता ने विक्रीत भूमि से अपना प्रत्येक प्रकार से उठाकर व हटाकर मौके पर आज की तिथि में क्रेता का कब्जा करा दिया है आज से क्रेता, विक्रेता के समान ही वर्णित भूमि के मालिक, काबिज एवं स्यामी हो गए हैं।

यह कि क्रेता को अधिकार होगा कि वह निम्न वर्णित भूमि को जिस प्रकार चाहे अपने उपयोग उपयोग में लावे विक्रय व हस्तान्तरण करे, जिस प्रकार लाभ उठावे इस पर विक्रेता व उनके किसी भी वारिसान आदि को कभी कोई आपत्ति किसी प्रकार की-नहीं होगी।

यह कि क्रेता को अधिकार होगा कि वह राजस्व अभिलेखों से विक्रेता का नाम खारिज करवा कर बतौर भूमि स्वामी के अभिलेखों में अपना नाम दर्ज करवा लें। आज तक का समस्त लगान व अन्य देय जो भी विक्रीत भूमि पर बाजिर होगा विक्रेता भुगतान करेंगे आइन्दा क्रेता ही भुगतान करने के जिम्मेदारी होंगे।

6 June 2011

Handwritten notes in the top right corner.

* वरुण का पिताका नाम
 * 6.19000/- लेखा नुमा
 * लीला
 * मंगल कुमारी शर्मा जी की मिशन शाला
 * श्री लखन 100 दिवस
 * लीला मंगल देववाल
 * लीला प्रदिमान एग्रे लली मोहन प्रिया
 * सखीके अक्षय व केके देवाल 510 प्री लल
 * श्री देवाल श्री लखन 100 दिवस ने की



Ra-Dutta Mishra
 08/08/2011
 जल रजिस्ट्रार
 वेधप्रयाग (दि. 10)

Handwritten signature 'Vishu' with a circular stamp below it.

Handwritten signature 'Anshu' with a circular stamp below it.

Handwritten signature 'Lalit M.M.' with a circular stamp below it.

Handwritten signature 'Vishu' with a circular stamp below it.

लोके से मैं स्वयं पाते-पते
 गवाये से मैं स्वयं पाते-पते है अंगुष्ठ दाप से पुस्तक लकी-

Ra-Dutta Mishra
 08/08/2011
 जल रजिस्ट्रार
 वेधप्रयाग (दि. 10)



उत्तरांचल UTTARANCHAL

517628

-4-

यह कि यदि विक्रेता के स्वामित्व दोष या खोत के कारण निम्न वर्णित भूमि या उसका कोई भाग क्रेता के स्वामित्व से निकल जाता है या क्रेता को कोई हानि होती है तो इसके समस्त भुगतान की जिम्मेदारी व देनदारी विक्रेता की होगी। यह कि यदि क्रेता को निम्न वर्णित भूमि के स्वामित्व पुष्टि हेतु कोई लेख व बयान आदि की आवश्यकता हुई तो वह लेख व बयान आदि देने के लिए विक्रेता ही बाध्य होगा।

इस विक्रय पत्र में प्रयुक्त शब्द 'क्रेता एवं विक्रेता' में दोनों पक्ष व दोनों पक्षों के अपने-अपने उत्तराधिकारी व स्थानापन्न भी सम्मिलित हैं और वे भी पक्षों की भाँति इस विक्रय पत्र की सदैव पालना करेंगे।

वांछित विवरण

- (विक्रीत भूमि कोई पेढा बाग या निर्माण नहीं है।
- विक्रीत भूमि की बाँधत पक्षकारों के मध्य कोई इकरारनामा पूर्व में पंजीकृत नहीं हुआ है।
- विक्रेता एवं क्रेता दोनों पक्ष भारतीय नागरिक हैं तथा किसी अनुरूचित जाति, जनजाति से सम्बन्धित व्यक्ति नहीं है।
- विक्रीत भूमि सिंगलिंग से मुक्त है तथा विक्रीत भूमि किसी औद्योगिक क्षेत्र में नहीं है।
- विक्रीत भूमि गौजा तपोवन तहसील नरेन्द्र नगर जिला टिहरी गढ़वाल में स्थित है।
- विक्रीत भूमि आवासीय भूमि है तथा आवासीय प्रयोजन हेतु क्रय की गयी है।
- विक्रीत भूमि ऋषिकेश-धौलीनाथ मुख्य मार्ग से लगभग 200 मीटर से अधिक की दूरी पर तथा गंगा तट से 300 मीटर से अधिक की दूरी पर स्थित है।

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

भारतीय नैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये

रु.1000

ONE THOUSAND RUPEES

Rs.1000

उत्तराखण्ड UTTARAKHAND


552807


-5-

विक्री भूमि का सर्किल रेट 3200/रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से महिला पर छूट पश्चात नियत स्टाम्प शुल्क मुब0 23580/-रुपये नियमानुसार अदा किया गया है।

यह कि मेसर्स डेकॉन इन्फ्रास्ट्रक्चर द्वारा जो मार्ग विक्रेता की भूमि व सम्पत्ति में आने-जाने हेतु निर्मित किया हुआ उसका उपयोग व उपयोग केता आने-जाने हेतु करेगा तथा केता महोदय का आने-जाने का सुखाधिकार प्राप्त रहेगा तथा उक्त रास्ते का कोई भी दुरुपयोग नहीं करेगा। रास्ता केवल रास्ता ही रहेगा। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि विक्रेता के विस्तारकर्ता डेकॉन इन्फ्रास्ट्रक्चर द्वारा जो आवासीय भवन निर्मित किये हैं भविष्य में यदि किसी सोसाईटी का निर्माण करत है, तो उक्त सोसाईटी भी केता के आवागमन वाले रास्ते पर हस्तक्षेप नहीं करेगी। यह कि केता महोदय को अपनी उक्त भूमि में निर्माण हेतु सामान ले जाने हेतु केता द्वारा अधिग्रहित वाहन पर कोई भी व्यक्ति हस्तक्षेप एवं अवरोध उत्पन्न नहीं करेगा और न ही केता एवं विक्रेता व अन्य व्यक्ति आवागमन वाले मार्ग पर किसी भी प्रकार का कोई अतिक्रमण नहीं करेगा।

यह कि केता उत्तराखण्ड के कृषक है और दिनांक 12.09.03 से पूर्व की केता की उत्तराखण्ड में अपनी अचल सम्पत्ति है जो कि आज तक विक्रय नहीं की है तथा निम्न वर्णित भूमि को कय करने पर केता द्वारा भू अधिनियम संख्या 29/2003 का उल्लंघन नहीं किया गया है।





— 6



उत्तराखण्ड UTTARAKHAND

552808

-6-

विवरण विक्रीत भूमि

भूमि खाता संख्या पुराना 41 व नया खाता संख्या 00086. पुराना खसरा नम्बर 86 व नया खसरा नम्बर 27क
 रकबा 231 वर्गगज यानि 193.21 वर्गमीटर, भूमि स्थित मौजा तपोवन, तहसील नरेन्द्र नगर, जिला टिहरी गढ़वाल जिसकी
 सीमा व नाप इस प्रकार है कि -

- पूर्व में - सम्पत्ति विक्रेता, सीमा नाप 67 फीट 6 इंच।
- पश्चिम में - सम्पत्ति विक्रेता, सीमा नाप 71 फीट।
- उत्तर में - खाला, सीमा नाप 30 फीट।
- दक्षिण में - 25 फीट चौड़ी सड़क, सीमा नाप 30 फीट।

संज्ञिककरण अधिनियम 1908 की धारा 32 ए के अन्तर्गत (Finger Print) अंगुलियों के निम्नलिखित

प्रकार - विक्रेता	नाम - श्री नवीन कुमार शर्मा				हस्ताक्षर
	अनुष्ठा	तर्जनी	मध्यमा	अनामिका	कनिष्ठा
दायाँ हाथ					
दायाँ पैर					

Handwritten signature

Handwritten signature

652

74



उत्तराखण्ड UTTARAKHAND

552809

-7-

Anshu

पक्ष/पक्षिका	केता	नाम - श्रीमती अशु देशवाल			हस्ताक्षर
	अनुदा	तर्जनी	मध्यमा	अनामिका	कनिष्ठा
बायाँ पक्ष					
दायाँ पक्ष					

Mark

Anshu

653



उत्तरांचल UTTARANCHAL

568842

-8-

अतएव यह विक्रय पत्र आज दिनांक 08.08.2011 को स्थान तपोवन, तहसील नरेन्द्र नगर जिला टिहरी गढ़वाल में लिख दिया गया है कि सनद ही आर समय पर उपयोगी हो ।

हस्ता० विक्रेता - *MA*

हस्ता० क्रेता - *Anshu*

हस्ता० गवाह - *Lalit H.R. Lalit Mohan Mishra Ad.*

हस्ता० गवाह - *Bishoy Shri K.K. Deshwal Shri Shri N.D. Deshwal K/o Tapovan T.G.*

मेरे द्वारा रचित एवं मेरे कार्यालय में टाईप किया गया है तथा गवाहों की शनाख्त पर पक्षकारों की फोटों प्रमाणित की है ।

आर० एस० बिष्ट एडवोकेट

अधिकारी जिला देहरादून ।

[Signature]

905
5

2,16,000

2 AUG 2011
The District
Muzaffarpur


11/8/11

T 283 01-10
1072
02/08/2011

Ran. Chitta Mishra
08/08/2011
District Registrar
Muzaffarpur (P.O. No.)



मेरठ सभागीय नियोजन खण्ड ,
 नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग उत्तर प्रदेश



हरिद्वार विभागा क्षेत्र
 Haridwar Division Area
 1. नगर क्षेत्र (Urban Area)
 2. ग्राम क्षेत्र (Rural Area)
 3. कृषि क्षेत्र (Agricultural Area)
 4. वन क्षेत्र (Forest Area)
 5. पर्वत क्षेत्र (Hilly Area)

हरिद्वार विभागा क्षेत्र
 Haridwar Division Area
 1. नगर क्षेत्र (Urban Area)
 2. ग्राम क्षेत्र (Rural Area)
 3. कृषि क्षेत्र (Agricultural Area)
 4. वन क्षेत्र (Forest Area)
 5. पर्वत क्षेत्र (Hilly Area)

ऋषिकेश महापौजना
हरिद्वार विकास क्षेत्र (भाग न)
संकलिका

क्र.सं.	वार्ड का नाम	वार्ड का क्षेत्रफल (वर्ग मी.)	वार्ड का जनसंख्या
1	वार्ड नं. 1	100	1000
2	वार्ड नं. 2	150	1500
3	वार्ड नं. 3	200	2000
4	वार्ड नं. 4	250	2500
5	वार्ड नं. 5	300	3000
6	वार्ड नं. 6	350	3500
7	वार्ड नं. 7	400	4000
8	वार्ड नं. 8	450	4500
9	वार्ड नं. 9	500	5000
10	वार्ड नं. 10	550	5500
11	वार्ड नं. 11	600	6000
12	वार्ड नं. 12	650	6500
13	वार्ड नं. 13	700	7000
14	वार्ड नं. 14	750	7500
15	वार्ड नं. 15	800	8000
16	वार्ड नं. 16	850	8500
17	वार्ड नं. 17	900	9000
18	वार्ड नं. 18	950	9500
19	वार्ड नं. 19	1000	10000
20	वार्ड नं. 20	1050	10500
21	वार्ड नं. 21	1100	11000
22	वार्ड नं. 22	1150	11500
23	वार्ड नं. 23	1200	12000
24	वार्ड नं. 24	1250	12500
25	वार्ड नं. 25	1300	13000
26	वार्ड नं. 26	1350	13500
27	वार्ड नं. 27	1400	14000
28	वार्ड नं. 28	1450	14500
29	वार्ड नं. 29	1500	15000
30	वार्ड नं. 30	1550	15500
31	वार्ड नं. 31	1600	16000
32	वार्ड नं. 32	1650	16500
33	वार्ड नं. 33	1700	17000
34	वार्ड नं. 34	1750	17500
35	वार्ड नं. 35	1800	18000
36	वार्ड नं. 36	1850	18500
37	वार्ड नं. 37	1900	19000
38	वार्ड नं. 38	1950	19500
39	वार्ड नं. 39	2000	20000
40	वार्ड नं. 40	2050	20500
41	वार्ड नं. 41	2100	21000
42	वार्ड नं. 42	2150	21500
43	वार्ड नं. 43	2200	22000
44	वार्ड नं. 44	2250	22500
45	वार्ड नं. 45	2300	23000
46	वार्ड नं. 46	2350	23500
47	वार्ड नं. 47	2400	24000
48	वार्ड नं. 48	2450	24500
49	वार्ड नं. 49	2500	25000
50	वार्ड नं. 50	2550	25500



03/11/22
 01/11/22
 O.C./UBC
 K.O. Guas
 जिलाधिकारी
 देहरादून
 03/11/22

उत्तराखण्ड शासन
 शहरी विकास अनुभाग-3

संख्या- /IV(3)/2021-1(2 न0नि0)/2021
 देहरादून: दिनांक 27 दिसम्बर, 2021

अधिसूचना

राज्यपाल, "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 243थ के खण्ड (2) सपठित उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1916) (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त) की धारा 3 की उपधारा (1), द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके "भारत का संविधान" के भाग 9क के प्रयोजनार्थ जिला टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत, "अनुसूची-एक" में विनिर्दिष्ट क्षेत्र को नगर पंचायत तपोवन के नाम से गठित किये जाने के उद्देश्य से अधिसूचना निर्गत करते हैं और उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा यथापेक्षित अनन्तिम अधिसूचना संख्या-1616/IV(3)/2021-1(2 न0नि)2021 दिनांक 28.10.2021 के साथ पूर्व प्रकाशन के पश्चात् अग्रेत्तर अधिसूचित करते हैं कि, भारत के संविधान के अनुच्छेद 243थ के खण्ड (1) के उपखण्ड (क) के अधीन नीचे अनुसूची एक में विनिर्दिष्ट क्षेत्र उक्त नगर पंचायत, तपोवन जिला टिहरी गढ़वाल का प्रादेशिक क्षेत्र होगा।

R.N.-152/UBC

पंजीयन सं. 8 दिनांक 4/11/2021 "अनुसूची-एक"

क्र.स.	राजस्व ग्राम का नाम	खसरा नम्बर	भौगोलिक क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	वर्ष 2011 के अनुसार जनसंख्या
1	तपोवन	909	62.005	3227
2	घुघत्याणी-तल्ली	934	24.614	410
3	घुघत्याणी-मल्ली	327	7.608	62
4	जामरी काटल	147	3.258	71
5	पांथो मध्ये विलखेल तोक	वन क्षेत्रान्तर्गत		120
कुल योग:-		2317	97.485	3890

(विनोद कुमार सुमन)
 सचिव (प्रभारी)।

संख्या- (1)/IV(3)/2021-01(2 न0नि0)/2021, तददिनांक।

प्रतिलिपि-निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री राजकीय मुद्रणालय, रुड़की को इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्त अधिसूचना को उत्तराखण्ड आगामी असाधारण गजट में प्रकाशित कर उसकी 50-50 प्रतियां सचिव, शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन, जिलाधिकारी, टिहरी गढवाल एवं निदेशक, शहरी विकास निदेशालय, देहरादून को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

आज्ञा से,

(लक्ष्मण सिंह)
संयुक्त सचिव।

संख्या-1853 (2)/IV(3)/2021-01(2 न0नि0)/2021, तददिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-


1. महालेखाकार लेखा एवं हकदारी उत्तराखण्ड।
2. सचिव श्री राज्यपाल, राज्यपाल सचिवालय, उत्तराखण्ड।
3. सचिव, पंचायतीराज, उत्तराखण्ड शासन।
4. आयुक्त, राज्य निर्वाचन आयोग, देहरादून।
5. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी उत्तराखण्ड शासन।
6. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
7. आयुक्त, गढवाल मण्डल।
8. जिलाधिकारी, टिहरी गढवाल।
9. निदेशक, शहरी विकास निदेशालय, देहरादून को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे कृपया उक्त अधिसूचना शहरी विकास विभाग की वेबसाईट पर जनसामान्य के संज्ञानार्थ अपलोड करने का कष्ट करें।
10. अधिशासी निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग उत्तराखण्ड, देहरादून।
11. वित्त आयोग, प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन।
12. एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर।
13. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(लक्ष्मण सिंह)
संयुक्त सचिव।


659

Annexine 2/7






6613



66284



TAPOVAN
तपोवन

Ganges

700.28 m


400 m

3D

< Measure

Move the map and add points to measure distances and area


664



Annedue R18



665



667

89



॥ जप मां कर्ण देवी ॥

जेगी ट्रेडर्स

9412154298

8630095500

इंट, सीमेन्ट, रेत, बजरी एवं बिल्डिंग मैटेरियल सप्लायर्स आदि

347, पुरानी चुंगी हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून (उत्तराखण्ड)

क्रमांक:

481

दिनांक. 10/2/24

नाम:

गणेश शेट्टी अथवा सुबल

क्र.स.	विवरण	संख्या	दर	अथवा धनराशि
	16 बैंग पानी		400	6400 =
			योग	6400 =

धूल-चूक लेनी देनी

हस्ताक्षर

668 (90)



॥ जय मां कर्ण देवी ॥

जोगी ट्रेडर्स

9412154298
8630095500

इंट, सीमेंट, रेत, बजरी एवं बिल्डिंग मैटेरियल सप्लायर्स आदि

347, पुरानी चुंगी हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून (उत्तराखण्ड)

क्रमांक: 409

दिनांक: 15/3/24

नाम: श्रीमान मोहन प्रियदा

वसुदेव लुधियाना

क्र.स.	विवरण	संख्या	दर	अनुराशि
	15 टैंकर पार्क		400 = 6000	
			योग	6000/-

भूल-बूक लेनी देनी

हस्ताक्षर

91



।। जय माँ कर्ण देवी ।।

जेगी ट्रेडर्स

9412154298
8630095500

ईट, सीमेंट, रेत, बजरी एवं बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर्स आदि

347, पुरानी चुंगी हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून (उत्तराखण्ड)

क्रमांक:

426

दिनांक 22/5/24

नाम

ज्योति शर्मा

क्र.स.	विवरण	संख्या	दर	धनराशि
	90 टंक फाई		100	8000
			योग	8000

भूल-चूक लेगी देनी

कुमाक्षर

670

92



।। जय मां कर्ण देवी ।।

नेगी ट्रेडर्स

9412154298
8630095500

ईट, सीमेंट, रेत, बजरी एवं बिल्डिंग मैटेरियल सप्लायर्स आदि

347, पुरानी चुंगी हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून (उत्तराखण्ड)

क्रमांक.

418

दिनांक 25/4/24

नाम लालिन मोहन शिखा

क्र.स.	विवरण	संख्या	दर	रकम	धनराशि
	12 ईंकर पानी		400	4800	
			योग	4800	

भूल-भूक लेगी देनी

हस्ताक्षर

CONSUMER HISTORY FROM 04-Mar-2017 TO 24-Aug-2024

TH66056112757
 MR CHARAT SINGH NIRBAN
 S/O MOOL CHAND
 BAMBOO HUTS ASHRAM ,NEAR DECCON
 VALLY ,TAPOVAN
 / 7500155180
 MUNI_KI_RETI_RISHIKESH
 204201
 Yes
 0

Category : STN-25 / SMALL NON-1
 Account No / CIN : 41700207518 /
 Billing Status : Evg
 Contracted Load : 2.00 KW
 Connected Load : 2.00 KW
 Supply Release Date : 04-Mar-2017
 Total Security Deposit : 2130.00
 Material Security Deposit : 0.00
 PAN Number :

Supply Voltage	Smart Meter Capacity	ED Exemption Flag	Calling Flag	IS Director Surcharging Applied	IS Continuous Supply
400 V	0			N	

NO TRANSACTIONS FOUND

671



कार्यालय, सहायक अभियन्ता, सब-डिविजन (गंगा),
उत्तराखण्ड जल संस्थान, ऋषिकेश
निकट अशोक होटल, हीरालाल रोड ऋषिकेश, देहरादून ।

सेवा में,

क्षेत्रीय अधिकारी,
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
साकेत कॉलोनी, धर्मपुर, नेहरू कॉलोनी,
देहरादून ।

पत्रांक 143 / तपो0जलो0यो0 / 2024-25

दिनांक 02/07/24

विषय:- तपोवन स्थित निर्माणधीन छः भवनों के सीवर सम्बन्धी स्थिति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपसे हुयी फ़ोन पर वार्ता के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि आपके द्वारा कदसएण्य के माध्यम निम्न भवनों की सीवर सम्बन्धी आख्या चाही गई है।

1. श्री राजेश अग्रवाल, घुघत्यानी तल्ली, डीकॉन वैली, तपोवन।
2. स्व0 श्रीमती शोभा सिंह/श्री नरेन्द्र बलूनी, घुघत्यानी तल्ली डीकॉन वैली तपोवन।
3. श्री अतुल नेहर, घुघत्यानी तल्ली, डीकॉन वैली, तपोवन।
4. श्री दीपक कण्डारी, घुघत्यानी तल्ली, डीकॉन वैली, तपोवन।
5. श्री रंजन गुप्ता/ श्री नितिन गोयल/श्री विशाल तायल/ श्री अमित, घुघत्यानी तल्ली, डीकॉन वैली, तपोवन।
6. श्री भरत सिंह/श्री ललित मिश्रा, घुघत्यानी तल्ली, डीकॉन वैली, तपोवन।

उपरोक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उक्त क्षेत्र का निरीक्षण किया गया है, उक्त क्षेत्र में सीवर लाइन नेटवर्किंग उपलब्ध है तथा उक्त निर्माणधीन भवनों को सीवर से संयोजित किया जा सकता है।

भवदीय

(हरीश कुमार बंसल)
सहायक अभियन्ता

निरीक्षण आख्या

महोदय,

श्री राजेश अग्रवाल/अन्य का तपोवन, घुघत्याणी मल्ली, डेक्कन वैली में स्थित अवैध निर्माण/भवन की जांच की गयी। जिसमें पाया गया कि उक्त भवन का मानचित्र प्राधिकरण से स्वीकृत न होने के कारण प्राधिकरण द्वारा वाद संख्या-नो0/ऋषि0/87/2017-18, दिनांक-03/11/2017 द्वारा वाद योजित है, जिसके विरुद्ध कार्यवाही/सुनवाई गतिमान है। उक्त भवन G+4तल तक निर्मित है। उक्त भवन की औसत चौड़ाई 14.50 मी0 एवं गहराई 18.30 मी0 तथा कुल क्षेत्रफल 265.35 वर्ग मी0 है। उक्त निर्मित भवन के कुल तलों का क्षेत्रफल 1061.40 वर्ग मीटर है। उक्त भवन में एस0टी0पी0 नही है। वर्तमान में प्राधिकरण के पत्रांक-111/जि0स्त0वि0प्रा0/2024-25, दिनांक-22-06-2024 द्वारा उक्त अवैध भवन को दिनांक-08-07-2024 को सुनवाई में उपस्थित होने हेतु नोटिस निर्गत किया गया है।

सहायक अभियन्ता
जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण
टिहरी, नरेन्द्रनगर।

निरीक्षण आख्या

महोदय,

श्री दीपक कण्डारी एवं अन्य का तपोवन, घुघत्याणी मल्ली, डेक्कन वैली में स्थित अवैध निर्माण/भवन की जांच की गयी। जिसमें पाया गया कि उक्त भवन का मानचित्र प्राधिकरण से स्वीकृत न होने के कारण प्राधिकरण द्वारा वाद संख्या-UCMS/TSN/C/0027/2023, दिनांक-08/11/2023 द्वारा वाद योजित है, जिसकी सुनवाई गतिमान है। उक्त भवन G+5 तल तक निर्मित है। उक्त भवन की औसत चौड़ाई 25.00 मी० एवं गहराई 18.90 मी० तथा कुल क्षेत्रफल 472.50 वर्ग मी० है। उक्त निर्मित भवन के कुल तलों का क्षेत्रफल 2382.50 वर्ग मीटर है। उक्त भवन में एस०टी०पी० नहीं है। वर्तमान में प्राधिकरण के पत्रांक-108/जि०स्ता०वि०प्रा०/2024-25, दिनांक-22-08-2024 द्वारा उक्त अवैध भवन को सील किये जाने हेतु कारण बताओं नोटिस निर्गत किया गया है।



सहायक अभियन्ता
जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण
टिहरी, नरेन्द्रनगर।

निरीक्षण आख्या

महोदय,

श्री रंजन गुप्ता/श्री नितिन गोयल/श्री विशाल तायल/श्री अमित आदि का तपोवन, घुघत्याणी मल्ली, डेक्कन वैली में स्थित अवैध निर्माण/भवन की जांच की गयी। जिसमें पाया गया कि उक्त भवन का मानचित्र प्राधिकरण से स्वीकृत न होने के कारण प्राधिकरण द्वारा वाद संख्या- UCMS/TSN/C/0014/2023, दिनांक-21/08/2023 द्वारा वाद योजित है, जिसकी सुनवाई गतिमान है। उक्त भवन G+5 तल तक निर्मित है। उक्त भवन की औसत चौड़ाई 15.80 मी० एवं गहराई 16.50 मी० तथा कुल क्षेत्रफल 255.75 वर्ग मी० है। उक्त निर्मित भवन के कुल तलों का क्षेत्रफल 1278.75 वर्ग मीटर है। उक्त भवन में एस०टी०पी० नहीं है। वर्तमान में प्राधिकरण के पत्रांक-86/जि०स्त०वि०प्रा०/2024-25, दिनांक-13-06-2024 द्वारा उक्त अवैध भवन को सील किये जाने हेतु कारण बताओं नोटिस निर्गत किया गया है।

सहायक अभियन्ता
जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण
टिहरी, नरेन्द्रनगर।


98

10/10/2024

निरीक्षण आख्या

महोदय,

श्री भरत सिंह/श्री ललित मिश्रा का तपोवन, घुघत्याणी मल्ली, डेक्कन वैली में स्थित अवैध निर्माण/भवन की जांच की गयी। जिसमें पाया गया कि उक्त भवन का मानचित्र प्राधिकरण से स्वीकृत न होने के कारण प्राधिकरण द्वारा वाद संख्या-UCMS/TSN/R/0008/2021, दिनांक-12/10/2021 द्वारा वाद योजित है, जिसकी सुनवाई गतिमान है। उक्त भवन G+5 तल तक निर्मित है। उक्त भवन की चौड़ाई 9.15 मी० एवं गहराई 19.85 मी० तथा कुल क्षेत्रफल 181.62 वर्ग मी० है। उक्त निर्मित भवन के कुल तलों का क्षेत्रफल 908.10 वर्ग मीटर है। उक्त भवन में एस०टी०पी० नहीं है। वर्तमान में प्राधिकरण के पत्रांक-107/जि०स्त०वि०प्रा०/2024-25, दिनांक-22-06-2024 द्वारा उक्त अवैध भवन को सील किये जाने हेतु कारण बताओं नोटिस निर्गत किया गया है।


सहायक अभियन्ता
जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण
टिहरी, नरेन्द्रनगर।

निरीक्षण आख्या

महोदय,

स्व० श्रीमती शोभा सिंह/नरेन्द्र बलूनी का तपोवन, घुघत्याणी मल्ली, डेक्कन वैली में स्थित अवैध निर्माण/भवन की जांच की गयी। जिसमें पाया गया कि उक्त भवन का मानचित्र प्राधिकरण से स्वीकृत न होने के कारण प्राधिकरण द्वारा वाद संख्या-नो०/टि०/४०/२०२०-२१, दिनांक-०६/०७/२०२० द्वारा वाद योजित है, जिसकी सुनवाई गतिमान है। उक्त भवन G+४तल तक निर्मित है। उक्त भवन की औसत चौड़ाई २०.७५ मी० एवं औसत गहराई ८.९० मी० तथा कुल क्षेत्रफल १८४.६७ वर्ग मी० है। उक्त निर्मित भवन के कुल तलों का क्षेत्रफल ७३८.६८ वर्ग मीटर है। उक्त भवन में एस०टी०पी० नहीं है। वर्तमान में प्राधिकरण के पत्रांक-११०/जि०स्ता०वि०प्रा०/२०२४-२५, दिनांक-२२-०६-२०२४ द्वारा उक्त अवैध भवन को सील किये जाने हेतु कारण बताओं नोटिस निर्गत किया गया है।



सहायक अभियन्ता
जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण
टिहरी, नरेन्द्रनगर।

100

निरीक्षण आख्या

महोदय,

श्री अतुल नेहरा एवं अन्य का तपोवन, घुघत्याणी मल्ली, डेक्कन वैली में स्थित अवैध निर्माण/भवन की जांच की गयी। जिसमें पाया गया कि उक्त भवन का मानचित्र प्राधिकरण से स्वीकृत न होने के कारण प्राधिकरण द्वारा वाद संख्या-UCMS/TSN/C/0023/2023, दिनांक-08/12/2023 द्वारा वाद योजित है, जिसकी सुनवाई गतिमान है। उक्त भवन G+5 तल तक निर्मित है। उक्त भवन की औसत चौड़ाई 9.15 मी० एवं गहराई 18.50 मी० तथा कुल क्षेत्रफल 169.27 वर्ग मी० है। उक्त निर्मित भवन के कुल तलों का क्षेत्रफल 848.35 वर्ग मीटर है। उक्त भवन में एस०टी०पी० नहीं है। वर्तमान में प्राधिकरण के पत्रांक-109/जि०स्त०वि०प्रा०/2024-25, दिनांक-22-06-2024 द्वारा उक्त अवैध भवन को सील किये जाने हेतु कारण बताओं नोटिस निर्गत किया गया है।



सहायक अभियन्ता
जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण
टिहरी, नरेन्द्रनगर।

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण ट्रांसपोर्ट नगर,
सहारनपुर रोड देहरादून।

पत्रांक 770 / मान0 सैल-विविध/15-16

दिनांक 01/8/17

- 1-समस्त सहायक अभियन्ता,
म0दे0वि0प्रा0
देहरादून।
- 2-समस्त अवर अभियन्ता,
मानचित्र सैल।
- 3-समस्त अवर अभियन्ता,
अवैध निर्माण सैल।
- 4-ड्राफ्ट्समैन/लेखपाल/पटवारी,
म0दे0वि0प्रा0देहरादून।

विषय:- मान0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.4.17 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक इस कार्यालय में प्रेषित संयुक्त मुख्य प्रशासक उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण राजीव गांधी बहुउद्देश्यीय काम्प्लेक्स डिस्ट्रिक्ट रोड देहरादून के पत्र संख्या 311 दिनांक 12.7.17 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें मान0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.4.17 की प्रति इस आशय से संलग्न की गयी है कि भविष्य में मानचित्रों पर रवीकृति से पूर्व मान0 एन0जी0टी0 के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें, अतः उक्त आदेश की प्रति आपको अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है, कृप्या तदनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें।

संलग्नक:-यथोपयुक्त।

अधिशारी अभियन्ता,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।

प्रतिलिपि:-निम्नांकित को सूचनार्थ व अवलोकनार्थ प्रेषित।

- 1-उपाध्यक्ष महोदय को अवलोकनार्थ।
- 2 सचिव, महोदय म0दे0वि0प्रा0।
- 3-अधीक्षण अभियन्ता म0दे0वि0प्रा0।

अधिशारी अभियन्ता,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।



उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण

राजीव गाँधी बहुउद्देशीय कॉम्प्लेक्स, डिस्पेन्सरी रोड, देहरादून, उत्तराखण्ड।
Website- uhuda.org.in E-mail- uhudaok@gmail.com, info@uhuda.org.in

पत्रांक:- 311 / उडा-171 / एन0जी0टी0 / 2016-17

दिनांक: 12.06.2017

प्रेषक,

संयुक्त मुख्य प्रशासक,
उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण,
देहरादून, उत्तराखण्ड।

सेवा में,

- | | |
|---|---|
| 1. उपाध्यक्ष,
गसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून। | 2. उपाध्यक्ष,
हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण,
हरिद्वार। |
| 3. सचिव,
नैनीताल झील परिक्षेत्र विशेष क्षेत्र
विकास प्राधिकरण, नैनीताल। | 4. सचिव,
दून-घाटी विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
देहरादून। |
| 5. उपाध्यक्ष
स्थानीय प्राधिकरण,
बदीनाथ / औली / गौचर / गैरसोंण /
रुद्रप्रयाग / श्रीनगर / पौड़ी / उत्तरकाशी
/ चमोली-गोपेश्वर। | 6. उपाध्यक्ष
स्थानीय प्राधिकरण,
पिथौरागढ़ / कोसानी-त्वेशाल / बागेश्वर /
चम्पावत / रामनगर / हल्द्वानी-काठगोदाम।
बाजपुर / किच्छा / काशीपुर / रुद्रपुर |

विषय:- मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेश दिनांक-25.04.2017 के अनुपालन के सम्बन्ध में।
महोदय,

उपरोक्त विषयक के सम्बन्ध में यह अवगत कराना है कि मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेश दिनांक-25.04.2017 की प्रति इस आशय से भेजी जा रही है कि भविष्य में मानचित्रों पर स्वीकृति से पूर्व मा0 एन0जी0टी0 के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें। (संलग्न मा0 एन0जी0टी0 के निर्णय की प्रति)।

संलग्न-उपरोक्तानुसार।

Secretary

9/7
18-7-17

21/7/17

भावदीय

(गिरधारी सिंह रावत)
संयुक्त मुख्य प्रशासक।

प्रतिलिपि-

1. मुख्य प्रशासक, उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण को सूचनार्थ प्रेषित।
2. नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

1332
24/7/17

Map Cell

PA

24/7

(गिरधारी सिंह रावत)
संयुक्त मुख्य प्रशासक।

मुख्यालय
उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
29/20, नेमी रोड, डालनवाला, देहरादून-248001

पत्रांक-यूईपीपीसीबी/एच.ओ/सा0-183(217)/2017/148-186 दिनांक 25.05.2017

फैक्स/रपीड पोस्ट द्वारा
कोर्ट रीटर/अति महत्वपूर्ण।

सेवा में,

1. सगस्त जिलाधिकारी। चमोली/रूद्रप्रयाग/टिहरी/उत्तरकाशी/पौड़ी/देहरादून/हरिद्वार/बागेश्वर/अल्मोड़ा/प्रभावात/नैनीताल/उधमसिंहनगर/पिथौरागढ़।
2. उपाध्यक्ष, हरिद्वार-रुड़की विकास प्राधिकरण, तुलसी चौक मायापुर, हरिद्वार। फैक्स-01334-265702
3. उपाध्यक्ष, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, ट्रांसपोर्ट नगर, सहारनपुर रोड, नियम आई.एस.बी.टी., देहरादून। फैक्स-0135-6603103।
4. उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण, राजीव गांधी काम्पलेक्स, नियर तहसील, दिसपेन्सरी रोड देहरादून। फैक्स-0135-2719700
5. सचिव, दून घाटी विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण (साहा), 12, प्रीतम रोड, देहरादून। फैक्स-0135-2669062
6. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, 58, टी.एच.डी.सी. विस्थापित क्षेत्र, तोमर काम्पलेक्स, देहरादून।
7. प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड राज्य अवस्थापना विकास निगम, 3/3, इण्डस्ट्रीयल एरिया, पटेल नगर, देहरादून।
8. प्रबन्ध निदेशक, गढ़वाल मण्डल विकास निगम, 74/1, राजपुर रोड, देहरादून।
9. प्रबन्ध निदेशक, कुमाऊँ मण्डल विकास निगम, ओक पार्क हाउस, मल्लीताल, नैनीताल। फैक्स-05942-2368971
10. सचिव, झील विकास प्राधिकरण, नैनीताल। फैक्स-05942-236041
11. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, भागीरथी नदी घाटी विकास प्राधिकरण, नारायण विहार, कार्गी रोड, देहरादून। फैक्स-0135-2622590
12. प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, 11, मोहिनी रोड, देहरादून।

विषय :- गा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.04.2017 के अनुपालन के सम्बन्ध में।
महोदय,

उपरोक्त विषयक अवगत होगा ताहें कि गा0 राष्ट्रीय हरित अभिकरण (एन.जी.टी.) द्वारा मूल आवेदन संख्या-19972014 एवं मूल आवेदन संख्या-61/2017 में दिनांक 25.04.2017 को अन्य आदेशों के साथ नगरीय क्षेत्र अपशिष्ट प्रबंधन तथा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना के सम्बन्ध में आदेश निर्गत किये गये हैं-

"Therefore, we hereby direct that no plans for building of constitution over 10,000Sq. Mtrs. area which will cover for construction area would be sanctioned by any legal authority in the entire country unless such sanction plan duly provided for setting up of an STP which shall bring sewage and domestic discharge within the prescribed parameters. Further such plan should duly provided for a complete and comprehensive system of collection, transportation and disposal of municipal solid waste strictly in accordance with the solid waste management Rule, 2016"

क्रमशः पृष्ठ-2

148
11.5.17

मा0 एन.जी.टी. के आदेशों की छायाप्रति इस आशय के साथ संलग्न कर प्रेषित की जा रही है कि कृपया निर्गत आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें। मा0 एन.जी.टी. के आदेश की छायाप्रति राज्य बोर्ड की वेबसाइट-<http://ueppeb.uk.gov.in/contents/listing/8%20NGT%20orders> पर भी उपलब्ध है। कृपया अवगत होना चाहिए कि विषयगत प्रकरण मा0 एन.जी.टी. में विवादाधीन है।
संलग्नक :- यथोपरि।



प्रतिलिपि :-

1. मुख्य सचिव महोदय, उत्तराखण्ड / अध्यक्ष, उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रमुख सचिव/सचिव, आवास, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।
3. प्रमुख सचिव/सचिव, शहरी विकास, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।
4. आयुक्त, गढ़वाल/कुमाऊं, उत्तराखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।
5. निदेशक, शहरी एवं नगरीय विकास, 43/6 माता मन्दिर मार्ग, धर्मपुर, देहरादून को इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया अपने स्तर से राज्य के समस्त स्थायी विकासों को मा0 एन.जी.टी. के आदेशों के अनुपालन हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

सदस्य सचिव

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

Original Application No. 199 of 2014

And

Original Application No. 61 of 2017
(Earlier OA No. 199 of 2014)

And

Original Application No. 281 of 2016
(M.A. No. 1007/2016 & M.A. No. 395/2017)

IN THE MATTER OF:

Almitra H. Patel & Anr. Vs. Union of India & Ors.

&

Kudrat Sandhu Vs. Govt. of NCT & Ors.

CORAM : HON'BLE MR. JUSTICE SWATANTER KUMAR, CHAIRPERSON
HON'BLE MR. JUSTICE RAGHUVENDRA S. RATHORE, JUDICIAL MEMBER
HON'BLE MR. BIKRAM SINGH SAJWAN, EXPERT MEMBER
HON'BLE DR. AJAY A DESHPANDE, EXPERT MEMBER

Present: Applicant :

Respondent

Mr. Mandeep Kalra, Adv.
Ms. Divya Sharma, Adv.
Mr. Gautam Singh and Mr. Rudreswar Singh, Advs.
for State of Bihar and Bihar SPCB
Ms. Priyanka Sinha, Adv. for State of Jharkhand -
Ms. K. Eantol Sema, Mr. Amith and Mr. Amit Kumar
Singh, Adv. for the State of Nagaland and Pollution
Control Board
Ms. Deep Shikha Dharati, Adv. for MoEF
Mr. Debarshi Bhuyan and Mr. E.S. Rebello, Adv. for
State of Goa and Goa SPCB
Mr. Anil Soni, AAG and Mr. Naginder Behlwal, Adv.
Mr. Om Prakash, Adv. Mr. Homantika Wahi and Mr.
Kable Nathi, Adv. for State of Gujarat
Mr. R. Rakesh Sharma, Adv. for State of TN & TRPCB
Ms. Aprajita Mukherjee, Adv.
Mr. Pradeep Misra and Mr. Deleep Dhyani, Adv. For
Uttar Pradesh Pollution Control Board
Mr. G.M. Kewooza, Adv. for State of J&K
Mr. Saurabh Prakash, Adv. for Zorba Entertainment
pvt. Ltd.
Ms. Mohini Sud, Adv., Mr. Jeshu Khanna, Adv.
Dr. Abhishek Atrey and Ms. Megha Tyagi, Adv. and
Mr. Vikas Malhotra, Adv. for Ministry of
Environment, Forest and Climate Change
Dr. Abhishek Atrey, Adv. for UT of Lakshadweep
Mr. S. Sukumaran, Mr. Anand Sukumar and Mr.
Bhupesh Kumar Pathak, Adv. for Municipal
Corporation of Gr. Mumbai
Mr. P.K. Agrawal, Ms. Mercy Hussain, Adv. for hotel
Leela ambience
Mr. Atul Sharma, Adv., Mr. Nitesh Jain, Adv., Ms.
Yashni Khutani, Adv. for Hotel Metropolitan
Mr. Sangram Pathak, Mr. Dhruvjit Singh, Mr. Dhiraj
Kumar, Mr. Swyamishtha Panath, Mr. Suresh Chandra,
Adv. for Hotel Samrat
Ms. Manisha T. Kaula, Adv., Ms. Nidhi Nagpal, Adv.,
Ms. Soumya, Ms. Mudit Sood, Adv. For Holiday Inn
Hotel
Mr. Rahul Kumar, Adv. for Jawahar Lal Nehru society
Mr. Ashimanyu Mahajan, Adv., Ms. Anubha Goel,
Adv. for Hotel Leela Palace
Ms. Sakshi Popli, Adv. Ms. Pritika Singh, Adv. for
NDMC
Mr. Hitesh Shrivastava, Adv. for M/s Golden radiance
palm hotel
Mr. Sudarshan Rajan, Adv. Mr. Karajot Singh Malneo,
Adv. for Delhi Citizen Society
Ms. Pooja Kalra, Adv.
Mr. Ridwika Nanda, Adv., Mr. Sumit Raj, Adv. for
Notice No. 1 Max Healthcare Ltd.
Mr. Anil Agarwal, Adv., Ms. Asha Basu, Adv.
Mr. Shriv Mangal Sharma, AAG with Mr. Saurabh
Rajpal, Mr. Adhiraj Adv. for NSPCB
Mr. D.K. Thakur, AAG with Ms. Seema Sharma, Dy.
AG for State of Himachal Pradesh

Mr. Abhishek Yadav, Adv. for State of Uttar Pradesh
 with Mr. Reghuveendra Singh, Sr. Adv. General
 Mr. Jigyasa Sharma, Adv. for Kerala State Pollution
 Control Board
 Ms. Bhanu Sharma President and Mr. Arun Lal
 Gudda, Sec. for Bharat
 Mr. Taruna Sharma, Adv.
 Mr. Pindar Hans, President, Neelkanth Apartment
 Rohini Delhi
 Mr. M.J. Khan President RWA
 Mr. Rahul Srivastav, Adv.
 Mr. D. K. Thakur AAG with Ms. Seema Sharma, DAG
 for State of Himachal Pradesh
 Mr. Jayesh Gaurav Adv. for JSPCB
 Mr. Vikas Sood, Adv.
 Mr. B. V. Meen, and Mr. Vinayak Gupta, Adv.
 Mr. Pankaj Misra, Sr. Adv. and Mr. Manu Aggarwal,
 Adv.
 Mr. Arjun Pant, Adv. Mr. Pallav Pandey, Adv. for Res.
 17, hotel Lohi
 Mr. Toran Singh and Mr. Amit Gupta, Adv.
 Dr. V.N.V. Satish, Adv. for OTD Hospital.
 Mr. Anuj Aggarwal for Dharamshala Hospital Notice
 No. 9
 Ms. Priyanka Sinha, Adv. for State of Jharkhand
 Ms. Meenakshi Paulhan, Mr. Anurag Dubey, Adv. for
 M/s Lillywhite hotel Mr. Rishu Rajen Shonker, Adv.
 for State of Kerala
 Mr. Rudeep Mr. Shatriya, Adv., Mr. Pratyaksh Raj,
 Adv. for Park Plaza Hotel
 Mr. Anil Grover, AAG with Mr. Rahul Khurana Adv.
 for State of Haryana and Haryana Pollution Control
 Board
 Ms. Sonam Bhawajit, Adv., Mr. Nareesh Kumar Gaur,
 Adv.
 Mr. Guntur Pankhakar and Mr. Guntur Pramod Kumar
 and Mr. Prashant Mathur, Adv. for State of AP.
 Ms. Asha Dasu and Mr. Amit Agarwal, Adv. For West
 Bengal Pollution Control Board
 Mr. Debanshi Bhuyan, Adv. for state of Goa
 Mr. P. Venkatesh Reddy, Adv., Mr. Prashant Tyagi, Adv.
 for State of Telangana
 Mr. Tayanjam Momo Singh and Mr. Amith J., Adv.
 for Meghalaya SPCB
 Ms. Shilpa Ghosh Choudhary, Adv. for State of
 Maharashtra
 Ms. Aruna Mathur, Mr. Amit Arora, Ms. Anuradha
 Arputhan and Mr. Avinash Arputhan, Adv. for
 State of Sikkim
 Mr. Kalyan Dasgupta, Mr. Rush Sharma, Mr. Anirudh
 Chaudha and Ms. Arpita, Adv. for Delhi Development
 Authority
 Ms. Divya Sharma, Adv., Mr. Arun Mehta, Adv.
 Mr. Saurabh Kumar, Adv.
 Mr. Sonu Choudhary, Adv.
 Mr. M. Palitray and Mr. A. K. Panda, Adv.
 Mr. Anil Soni, AAG with Mr. Naginder Bhatnagar, Adv.
 Mr. Ashish Negi, Adv. for Mr. Ruchi Kapoor, Adv.
 Mr. Sameer Choudhary, Adv. for Park Inn by
 Radisson
 Mr. Baldev Singh, Adv. for HPPCB
 Mr. Shubodip Roy and Mr. Sayooj Mohandas, Adv.
 for State of Assam and Assam PCB
 Mr. V.K. Shukla with Ms. Vijay Lakshmi, Adv. for
 State of MP
 Mr. Vijay Patilwani, Adv. for Central Pollution
 Control Board
 Ms. Pragyan Pradip Sharma, Adv. for the State of
 Mizoram
 Mr. Anil Srivastav, Mr. Rajraj Biswas and Ms.
 Sujaya Bardhan, Adv.
 Mr. Aruna Mathur, standing counsel, Mr. Avinash
 Arputhan, Adv., Mr. Anuradha Arputhan, Adv.
 Mr. Tarunvir Singh Khehar, Ms. Gunset Khehar and
 Mr. Charan Jot Singh, Adv.
 Mr. Rajul Srivastav, Adv. for MPPCB
 Ms. Yogmaya Anandhatri, Adv. for CECSB
 Mr. Sarthak Chaturvedi, Mr. Rohit Pandey, Adv. and
 Mr. Shubham Jainwal, Adv. for Andaman & Nicobar
 Island
 Mr. Balendu Shekhar, Adv. with Mr. R.K. Maurya,
 Adv. for East Delhi Municipal Corporation,

- Mr. Jitendra Malik, Adv. for JEPCC
- Mr. Braja Bhargava, Adv. with Mr. Dinesh Jindal, JO for Delhi Pollution Control Committee
- Mr. B.V. Nigam, Adv. for MoUD
- Mrs. D. Bharathi Reddy, Adv. for State of Uttarakhnad
- Mr. Gopal Singh, Ms. Varsha Poddar, Mr. Rituraj Biswas, and Mr. Kumar Mittal, Adv. for State of Tripura
- Mr. Jayant K. Mahia, and Mr. Abhijeet Srivastava, Adv.
- Dr. Abhishek Atrey and Mr. Vikas Malhotra, Adv.
- Dr. Abhishek Atrey and Ms. Megha Tyagi, Adv. &
- Mr. Shiv Chopra and Mr. Arush Khanna, Adv.
- Mr. Balendu Shekhar and Mr. R. K. Maurya advs and Mr. Vipin TDC
- Mr. Sanjay Manu and Mr. R. K. Pillar, and Mr. Vinay Rawat, Adv.
- Ms. D. Bharathi Reddy, Adv.
- Dr.
- Mr. Anilish Negi, Adv. for Ms. Richa Kapoor, Adv. for PPCB
- Mr. Makesh Verma and Mr. Bikas Kr. Sinha, Adv.
- Mr. Suresh N. President and Mr. BB Bhandari, Sec.
- Ms. Sukeshi Popli, Adv. for NDMC & DJB
- Mr. Balendu Shekhar, Adv. for Noticee Hospital Swamy Dayanand Hospital
- Mr. M.S. Choudhary, Adv., Mr. Shariq Zaidi, Ms. Mansi, Adv.
- Mr. Anurag Verma and Mr. Bikash Kumar Sinha, Adv.
- Mr. Sunny Choudhary, Adv. for MPCCB
- Mr. Suresh Kumar Adv.
- Mr. Nitesh Shivastava, Adv for Noticee 1 for G.K. Motels Pvt. Ltd.
- Mr. Harish Sharma, Adv for State of Chattisgarh
- Mr. Tejraj Agrawal, Mr. Ankit Prakash, Adv. For Fraser Quites
- Mr. Vibhav Misra, Adv., Ms. Soumya Misra, Adv. for DIC
- Mr. Santosh Kumar, Adv. for Vivekanda Mahila College
- Mr. Santosh Kumar, Adv. for Shaeed Sukhdev College
- Mr. Dr. R.K. Mahajan, Consultant Mr. Anil Bhatt, for Dr. RMC Hospital
- Ms. K. Smaya Agnihotri, Adv. for CECH
- Mr. Y.R. Shukla, Adv with Mr. VIJAY Lakshmi, Adv.
- Mr. G.M. Kawoosa, Adv.
- Ms. Deepshikha Bharati, Adv. MoEF
- Dr. V.R.V. Satish, for GTB Hospital
- Mr. Gautham Bhalra, Adv., Mr. Dhruv Pal, Adv. for State of Punjab
- Mr. Edward Belhe, AAO, Mr. K. Luikang Michael, Adv. Ms. Elx Gagnel, Adv.

Date and Remarks	Orders of the Tribunal
<p>Item No. 01-03</p> <p>April 25, 2017</p> <p>22</p>	<p>The Learned Counsel appearing for the Ministry of Environment, Forest and Climate Change prays for time to seek instruction, if any of the Sub-Committees have filed their final report and also whether the all interim reports filed by the Committee with the Ministry and/or filed before the Tribunal by the ministry. Let him take instructions positively by the next date of hearing and without default.</p> <p>In terms of order dated 10th April, 2017, Notices were</p>

Item No.
01-03
April 25,
2017

issued to all the defaulter Noticees Hospitals, Hotels,
Schools, Railway stations and other buildings belonging to
Public or Private both.

Hospitals :-

From the Hospital's list of Sl. No. 1 to 15, Noticees were
issued, however, nobody appears on behalf of the following:-

- 1. IG ESI Hospital, Jhil Mill Colony, East Delhi.
- 2. GTB Hospital, Dilshad Garden, Delhi.
- 3. Jag Prवेश Chandra Hospital, Shastri Park, Delhi.
- 4. Lok Nayak Jai Prakash Narayan Hospital, Near Delhi
Gate, Jawaharlal Nehru Marg, New Delhi

As nobody is present on their behalf, therefore, we
direct issuance of bailable warrants against the **Medical
Superintendents** of all above these hospitals to the sum of
Rs. 25,000/- to the satisfaction of the arresting Officer, in
exercise of our powers and in terms of the provision of
Section 19 (4) (a) of the National Green Tribunal Act, 2010
read with Order XVI Rule 10(3) and Section 151 of Code of
Civil Procedure, 1908, for their production before the
Tribunal on the next date of hearing. The bailable warrant
shall be executed by the SHO of the concerned Police
Station.

The Noticees stated at Sl. No. 1, 2, 5, 7, 8, 10, 11, 12,
14 and 15 are present personally or represented through
counsel. They pray for time to file their replies. Replies be
filed within two weeks from today with advance copy to all
the Learned Counsel appearing in this case.

List these cases for hearing on 15th May, 2017.

Hotels :-

All the hotels from Sl. No. 1 to 24 are present

109

687

Item No.
01-03

April 25,
2017

ss

personally or represented through their Advocates. They pray for time to file their replies. Replies be filed within two weeks from today with advance copy to all the Learned Counsel appearing in this case.

Colleges :-

From amongst the Educational Institutions, Noticee No. 4 is not present, therefore, we direct issuance of bailable warrants against the Registrar of Delhi Technological University in the sum of Rs. 25,000/- to the satisfaction of the arresting Officer, in exercise of our powers and in terms of the provision of Section 19 (4) (a) of the National Green Tribunal Act, 2010 read with Order XVI Rule 10(3) and Section 151 of Code of Civil Procedure, 1908, for his production before the Tribunal on the next date of hearing. The bailable warrant shall be executed by the SHO of the concerned Police Station.

The Educational Institutions from Sl. No. 1 to 3 are present personally or represented through their Advocates. They pray for time to file their replies. Replies be filed within two weeks from today with advance copy to all the Learned Counsel appearing in this case.

List these cases for hearing on 15th May, 2017.

Malls :-

Out of all the Malls to whom Notices were issued, the Noticee No. 1, 2, 3 and 6 are not present, therefore, we direct issuance of bailable warrants against the Proprietor of all above theses Malls in the sum of Rs. 25,000/- to the satisfaction of the arresting Officer, in exercise of our powers and in terms of the provision of Section 19 (4) (a) of the National Green Tribunal Act, 2010 read with Order XVI

Item No.
01-03
April 25,
2017

Rule 10(3) and Section 151 of Code of Civil Procedure, 1908,
for his production before the Tribunal on the next date of
hearing. The bailable warrant shall be executed by the SHO
of the concerned Police Station.

Let the case of Noticee No. 5 - DLG Galleria, Mayur
Vihar, Delhi be listed before Court No. 2.

The Noticees No. 1, 2, 3 and 6 are present personally
or represented through their Advocates. They pray for time
to file their replies. Replies be filed within two weeks from
today with advance copy to all the Learned Counsel
appearing in this case.

List these cases for hearing on 15th May, 2017

Railway Stations:-

From amongst all the 4 Noticees (Railway Stations),
are present and represented through their Counsel. They
pray for time to file their replies. Replies be filed within two
weeks from today with advance copy to all the Learned
Counsel appearing in this case.

List these cases for hearing on 15th May, 2017.

Bus Terminals:-

The Learned Counsel appearing for all the Bus
Terminals submits that Notices have been served to them
and they pray for time to file their replies. Replies be filed
within two weeks from today with advance copy to all the
Learned Counsel appearing in this case.

List these cases for hearing on 15th May, 2017.

Waste to Energy Plant:-

The Learned Counsel appearing for the Waste to
Energy Plant, Ghazipur of M/s. East Delhi Waste Processing
Private Limited pray for time to file their replies. Replies be

Item No.
01-03

April 25,
2017

ss

filed within two weeks from today with advance copy to all the Learned Counsel appearing in this case.

List this case for hearing on 15th May, 2017.

Residential Societies:

Out of the 9 Housing Societies, Notices Nos. 2 (Ekta Enclave) and 6 (Ghalib Memorial Cooperative GP Housing Society) are not present, therefore, we direct issuance of bailable warrants against the Secretary of the Societies in the sum of Rs. 25,000/- to the satisfaction of the arresting Officer, in exercise of our powers and in terms of the provision of Section 19 (4) (a) of the National Green Tribunal Act, 2010 read with Order XVI Rule 10(3) and Section 151 of Code of Civil Procedure, 1908, for their production before the Tribunal on the next date of hearing. The bailable warrant shall be executed by the SHO of the concerned Police Station.

The remaining 7 Notices are present personally or represented through their Advocates. They pray for time to file their replies. Replies be filed within two weeks from today with advance copy to all the Learned Counsel appearing in this case.

List these cases for hearing on 15th May, 2017.

We direct Ministry of Environment, Forest and Climate Change as well as Registry of National Green Tribunal to put up inspection report on its website within two days from today. Any of the Notices who have not received and/or not aware about the report of the Committee constituted by the Tribunal can access the report from the site and should file their replies as already directed.

Item No.
01-03

April 25,
2017

88

Despite the time granted under the judgment and by the subsequent orders passed by the Tribunal, State Governments and Union Territories have not filed their comprehensive Status Report and Action Plan for compliance of the directions contained in the Judgment of the Tribunal in the case of Almitra H. Patel & Anr. Vs. Union of India & Ors. in Original Application No. 199 of 2014. There is no justification for the parties concerned and all the State Governments not to file such report.

The Learned Counsel appearing for the Central Pollution Control Board submits that they had received reports from some of the States they found serious deficiencies/shortcomings as given in para (5) and the Central Pollution Control Board has already written to the various State Governments to rectify such deficiencies and provide complete and comprehensive statements. The cut-off date/month provided was March, 2017, which is already over, however, in the interest of justice, we still grant last opportunity of two weeks for all the State Governments and Union Territories to file their Status Reports and Action Plan. All the concerned States which have filed their report to Central Pollution Control Board should rectify the defects/deficiencies as reported by Central Pollution Control Board within the same period.


We make it clear that in the event of non-compliance now, each State/Union Territory shall be liable to pay cost of Rs. 1 Lakh, which shall be recovered from the salary of the erring officers of the concerned Governments/Union Territories.

Vide our order dated 12th January, 2017, we had issued Show Cause Notice to all the State

<p>Item No. 01-03</p> <p>April 25, 2017</p> <p>ss</p>	<p>Governments/Union Territories, as to why Tribunal should not pass directions requiring authorities to strictly adhere to the doctrine of Sustainable Development in its true concepts. Further, while upcoming developing projects, industrial, residential and commercial, why directions be not issued to commence its work until and unless the development plans will provide collection, processing and disposal of municipal solid waste in accordance law and they are also to have their own sewage system plant.</p> <p>Unfortunately, till today, though more than sufficient time has expired, no reply to Show Cause has been filed except by the State of Maharashtra, State of Nagaland, Union Territory of Lakshadweep, State of Punjab, Administration of Andaman & Nicobar, State of Sikkim, State of Mizoram, State of Assam, State of Bihar, State of Himachal Pradesh, State of Kerala and State of Meghalaya.</p> <p>These cases would be listed on 15th May 2017.</p> <p>We have heard the Learned Counsel appearing for various States and Union Territories including the one who have filed their replies. It is commonly conceded before us that all construction projects particularly which have larger area, should be directed to construct their own STP and should have complete mechanism for collection, transportation and disposal of municipal solid waste in accordance with Solid Waste Management Rule, 2016 that are comprehensive enough and provide complete mechanism in that behalf. Besides that some State Governments have issued guidelines where they have required the builders of buildings where the constructed area is more than 4000 Sq. Mtrs. to have their own</p>
---	--

<p>Item No. 01-03 April 25, 2017</p>	<p>facilities. These mass generators of waste are under statutory as well as corporate social responsibility to ensure that they do not throw untreated sewage, domestic/commercial waste and municipal solid waste in the open areas or in the water bodies and the Dhalaos without discharging their fundamental duties as contemplated under Article 51(a)(g) of the Constitution of India. The interest of the environment which is in a public interest must not be permitted to undermined for the commercial interest. The builders of such huge constructions should be directed to put up such facilities not only in the interest of environment and public health at large, but even at their own interest.</p> <p>Therefore, we hereby direct that no plans for building of constitution over 10,000 Sq. Mtrs. area which will cover for construction of any commercial, industrial and even residential area would be sanctioned by any legal authority in the entire country unless such sanction plan duly provided for setting up of an STP which shall bring sewage and domestic discharge within the prescribed parameters. Further such plan should duly provided for a complete and comprehensive system of collection, transportation and disposal of municipal solid waste strictly in accordance with the Solid Waste Management Rule, 2016.</p> <p>This direction shall apply to all the pending sanctions as of today and to all cases without exception in future.</p> <p>List these matters for further directions on 15th May, 2017.</p> <p>Copy of this order should be circulated to all the Chief Secretaries of the State Government as well as the State Pollution Control Boards which in term shall circulate to all</p>
--	--

<p>Item No. 01-03 April 25, 2017 88</p>	<p>the local authorities.</p>	<p>.....,CP (Swatanter Kumar)</p> <p>.....JM (Raghuvendra S. Rathore)</p> <p>.....EM (Bikram Singh Sajwan)</p> <p>.....EM (Dr. Ajay A Deshpande)</p>
---	-------------------------------	--



IN THE COURT OF National Green Tribunal.
Suit / Appeal No. O.A 211/2024 JURISDICTION OF 201

In re:- Sanjay Agarwal Plaintiff(s) Or Petitioner(s)
Appellant(s) Or Complainant(s)

VERSUS

State of Uttarakhand Dns. Defendant(s)/Respondent(s)/Accused
KNOW ALL to whom these Present shall come that I / We Respondent
Respecter.

The above named Adv. Manish Sharma do hereby appoint

- Robit Pandey D/1320-B/2002 Roop
- Manish Sharma D/4979/2015 Manish
- Adhyayan Gupta D/9699/2022 Adhyayan

(herein after called the advocate/s) to be my / our Advocate in the above - noted case authorize him/them :-

To act, appear and plead in the above-noted case in this court or in any other court in which the same may be tried or heard and also in the appellate court including High Court subject to payment of fees separately for each court by me / us.

To sign file, verify and present pleadings, appeals cross-objections or petitions for executions review, revision, withdrawal, compromise or other petitions or affidavits or other documents as may be deemed necessary or proper for the prosecution of the said case in all its stages subjects to payment of fees for each stage.

To file and take back documents, to admit and/or deny the documents of opposite party.

To withdraw or compromise the said case or submit to arbitration any differences or disputes that may arise touching or in any manner relating to the said case.

To take execution proceedings on paying separate fee.
To deposit, draw and receive money, cheques, cash and grant receipts hereof and to do all other acts and things which may be necessary to be done for the progress and in the course of the prosecution on the said case.

To appoint and instruct any other Legal Practitioner authorising him to exercise the power and authority hereby conferred upon the Advocate whenever he may think fit to do so and to sign the power of attorney on our behalf.

And I/We the undersigned do hereby agree to ratify and confirm all acts done by the Advocate or his substitute in the matter as my/our own acts, as if done by me/us to all intents and purpose.

And I/We undertake that I/We or my/our duly authorised agent would appear in court on all hearings and will inform the Advocate for appearance when the case is called.

And I/We undersigned to hereby agree not to hold the advocate or his substitute responsible for the result of the said case. The adjournment costs whenever ordered by the court shall be of the Advocate which he shall receive and retain for himself.

And I/We undersigned do hereby agree that in the event of the whole or part of the fee agreed by me/ us to be paid to the advocate remaining unpaid he shall be entitled to withdraw from the prosecution of the said case until the same is paid up. The fee settle is only for the above case and above Court. I/We hereby agree that once the fee is paid, I / We will not be entitled for the refund of the same in any case whatsoever and if the case prolongs for more than 3 years the original fee shall be paid again by me/us.

IN WITNESS WHERE OF I/We do hereunto set my/our hand to these presents the contents of which have been understand by me/ / us on this..... day of20..... Accepted subject to the terms of the fees.

Advocate

Client Robit / 17.17 Client
I identify The Signature/Thumb Impression Of Below Mentioned Person,
Who Has Been Signed in My Presence. The Client.